तृतीय
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2014-15

PAAYAS™
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।)

निदेशक मंडल

श्री अनिल कुमार	–	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्री भगवान सहाय	–	निदेशक
श्री बलदेव राम बेरवाल	–	निदेशक
श्री सुखपाल जाट	–	निदेशक
श्रीमती मंजू जाखड़	–	निदेशक
श्रीमती कौशल यादव	–	निदेशक
श्री डूंगर सिंह राठौड़	–	निदेशक
श्री भंवर लाल जाट	–	निदेशक
डॉ. ओमवीर सिंह	–	विशेषज्ञ निदेशक
डॉ. सी. एल. दाधीच	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री रतन कुमार सिंह	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव
श्री अनूप गुप्ता

वरिष्ठ प्रबन्धक – वित्त
श्री कपिल पचौरी

वैधानिक अंकेक्षक
मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,
गुडगाँव, हरियाणा

आतंरिक अंकेक्षक
अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स,
गुडगाँव, हरियाणा

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर
ऑरियटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जयपुर
एच.डी.एफ.सी. बैंक, जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जयपुर

रजिस्टर्ड कार्यालय

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
डी–232, 233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर–302 021 (राजस्थान)
फोन : +91–141–2352736
ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशकों का प्रतिवेदन	1–9
2.	स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	10–12
3.	स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक	13–15
4.	वार्षिक लेखा विवरण :	
	(अ) 31 मार्च, 2015 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा	16
	(ब) 31 मार्च, 2015 के लिये लाभ–हानि खाता	17
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	18
5.	लेखांकन नीतियों का विवरण	19–22
6.	अनुसूची संख्या (3–36)	23–38

संलग्न : चतुर्थ आम सभा का सूचना पत्र एवं सम्बंधित अनुलग्नक

प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की चतुर्थ आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अन्यंत हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान कम्पनी ने रू. 599.47 करोड़ का कुल कारोबार किया। कम्पनी ने कर अदा करने के पश्चात् रू. 9.00 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। आप द्वारा पायस को दी गई दुग्ध की प्रतिपूर्ति की वचनबद्धता के आधार पर लॉयल्टी इन्सेन्टिव दिया गया है जो आपके विश्वास को सुदृढ़ कर और प्रोत्साहित करेगा। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डीविडेंड) भी देने का प्रस्ताव पारित किया है।

कम्पनी ''पायस'' ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध और घी का विक्रय कर रही है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड के नाम से मिनरल मिक्सचर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से गुणवत्ता प्रधान कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने के लिये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जा रहे है। कम्पनी द्वारा चारा विकास संबंधी गतिविधियों के अन्तर्गत जिसमें चारा परिरक्षण (साईलेज) पर प्रदर्शन, घास काटने की मशीन संबंधी प्रदर्शन, चारा भण्डारण प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति कर रही है।

कम्पनी की उत्तरोतर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,

ह./–

(रतन कुमार सिंह**)**

मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2015 की समाप्त अवधि के कम्पनी के संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया था।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:-

(रु. करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए।**	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए।
कुल आय	**599.47**	439.63
साम्रगी व्यय सहित कुल व्यय	**585.51**	436.97
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**13.96**	2.66
कर हेतु प्रावधान	**4.96**	0.91
कर के पश्चात् अवधि का लाभ/(हानि)	**9.00**	1.75

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी ने रु. 599 करोड़ 47 लाख की कुल आय प्राप्त की है जो कि एक रिकार्ड है।

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी की दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के विक्रय से कुल आय रु. 599.47 करोड़ हुई है जिसमें अन्य आय रु. 2.64 करोड़ सम्मिलित है। वर्ष के दौरान कुल व्यय रु. 585.51 करोड़ के थे जिसमें सामग्री व्यय रु. 529.26 करोड़ एंव वित्त लागत रु. 94.23 लाख और मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय रु.1.59 करोड़ के सम्मिलित हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी का कर से पूर्व लाभ रु.13.96 करोड़ और कर के पश्चात् शुद्ध लाभ रु. 9.00 करोड़ रहा है।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल ने रु. 10/- प्रति समता अंश की दर से कुल रु. 1.85/- करोड़ लाभांश राशि (जिसमें रु. 31.37 लाख डीविडेंड डीस्ट्रीब्यूशन टेक्स सहित) देने के लिये अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डीविडेंड) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2015 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

संचय में हस्तांतरण (Transfer to Reserve)

कम्पनी अंतर्नियम एवं बहिर्नियमों के प्रावधानों के अनुच्छेद 11.10 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZI की अनुपालना में निदेशक मंडल ने रु. 7.15/- करोड़ की राशि को आर्थिक चिट्ठा में सामान्य संचय में हस्तांतरण करने का प्रस्ताव है।

संचालन कार्य (Operations)

कम्पनी राजस्थान के 8 जिलों के 2,092 गाँवों तथा अपने संचालन क्षेत्र के 2,315 दुग्ध संग्रहण स्थलों से दुग्ध संकलन कर रही है तथा समीक्षा अवधि के अन्तर्गत, कम्पनी ने 14.6 करोड़ लीटर दुग्ध संकलन किया। संकलित किए जा रहे दुग्ध के प्रतिफल में कम्पनी अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी राजस्थान राज्य में भिन्न-भिन्न प्रकार एवं मात्रा में पॉली पैक दुग्ध का विक्रय कर रही है। समीक्षा अवधि के दौरान पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमश: 92.9 लाख लीटर व 91.2 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके पास अपने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय में विस्तार करने की आगे संभावनाऐं हैं और इसलिए गत वर्ष के दौरान विक्रय एवं वितरण तंत्र को सशक्त बनाने हेतु 77 नवीन वितरकों (कुल 145) तथा 657 नये खुदरा विक्रेताओं (कुल 1237) को जोड़ा गया। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2014-2015 के दौरान सवाई माधोपुर सिटी में 15 नये मिल्क बूथ खोले हैं।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद: (Milk and Milk Products)

दुग्ध :

कम्पनी ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता उत्पाद प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुग्ध का विभिन्न श्रेणियों में विक्रय कर रही है :

1. **स्वस्थ एवं उत्तम (फिट एन फाइन) :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 1.5 प्रतिशत तथा एस.एन.एफ की न्यूनतम मात्रा 9 प्रतिशत।
2. **ताजा :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 3 प्रतिशत तथा एस.एन.एफ की न्यूनतम मात्रा 8.5 प्रतिशत।
3. **गोल्ड :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 6 प्रतिशत तथा एस.एन.एफ की न्यूनतम मात्रा 9 प्रतिशत।

कम्पनी मदर डेयरी को थोक में दुग्ध की आपूर्ति करती है।

घी :

पायस दानेदार घी को चखकर देखने से एक ताज़ापन का अहसास प्राप्त होता है। वर्तमान में यह 1 लीटर (सिक्का पैकिंग) एवं 15 किलोग्राम के टिन में उपलब्ध है।

पशु आहार (Cattle Feed)

कम्पनी अपने उत्पादक सदस्यों को उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त पशु आहार अत्यंत ही प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर ''मुद्रिका'' ब्राण्ड के नाम से उपलब्ध करवा रही है। वर्तमान में पशु आहार के मुद्रिका तथा मुद्रिका गोल्ड नाम के 2 ब्राण्ड दुग्ध उत्पादक को विक्रय किए जा रहे हैं। दोनों ब्राण्ड भारतीय मानक ब्यूरो के पशु आहार संबंधी BIS-II मानकों के अनुरूप हैं। कम्पनी के द्वारा विक्रय किया जा रहा ''मुद्रिका'' ब्राण्ड पशु आहार यूरिया रहित है।

मिनरल मिक्सचर (Mineral Mixture)

कम्पनी ने ''मुद्रिका'' नाम से राजस्थान में विशेष मिनरल मिक्सचर आरम्भ किया है जो उन्हीं खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है जिनकी राजस्थान की मिट्टी में कमी है। इस मिनरल मिक्सचर में उपलब्ध विभिन्न खनिजों की जैव उपलब्धता बढाने हेतु कॉपर, जिंक एवं क्रोमियम खनिज को चिलैटेड रूप में मिश्रित किया गया है। यह मिनरल मिक्सचर नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड के द्वारा

राजस्थान के लिये दिये गये फार्मूले पर आधारित है जोकि राजस्थान की मिट्टी में उपलब्ध खनिजों के अध्ययन के आधार पर बनाया गया है। इस प्रकार कम्पनी अनूकूल लागत में पशुओं के लिए खनिजों की कमी की आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

आगामी योजना (Way Forward)

कम्पनी को ग्राहकों से पायस दुग्ध एवं घी की अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। कम्पनी जल्द ही दुग्ध निर्मित उत्पाद जैसे:– दही एवं छाछ को बाजार में लाने वाली है। इस वर्ष दो नई मिल्क चिलिंग सेन्टर (एम.सी.सी.) चालू करने की योजना है जिसमें से एक एम.सी.सी. को प्रारंभ कर दिया गया है तथा दूसरी एम.सी.सी. को वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अंत तक आरंभ कर दिया जायेगा।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

समीक्षा वर्ष के दौरान, पीआईबी का ध्यान सदस्यों में उनकी भूमिका व दायित्वों और कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों व योजनाओं के भी विषय में जागरूकता पैदा करना था। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ने राजस्थान के पाँच जिलों में 12,422 सदस्यों के लिए सदस्य जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया। पीआईबी ने 16,025 किसानों/सदस्यों के लिए गुणवत्ता प्रधान एवं विशुद्ध दुग्ध उत्पादन हेतु कार्यक्रम आयोजित किए। ''5,345 महिलाओं के लिए 'महिला जागरूकता कार्यक्रम' का संचालन किया गया जिसमें महिलाओं को डेयरी के क्षेत्र में उनकी भूमिका और कम्पनी के संचालन व प्रबंधन हेतु उनकी आवश्यकता के संबंध में अवगत करवाया गया।

एक विशाल संचालन क्षेत्र व सदस्यता आधार सहित एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए ताकि सदस्यों के मुद्दों का निवारण किया जा सके तथा दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुड़ाव को सशक्त बनाया जा सके। यह ध्यान में रखते हुए, पीआईबी ने ग्रामीण स्तर पर 726 विलेज कॉन्टेक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) और दुग्ध अनुमार्ग स्तर पर 188 मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) को तैयार किया है जिनमें क्रमश: 3,171 व 2,254 सदस्य हैं। इन चयनित एमआरजी सदस्यों की क्षमता के निर्माण हेतु 262 प्रशिक्षण प्रदान किए गए। उपरोक्त के अतिरिक्त, पीआईबी ने आजीविका के एक उभरते हुए स्रोत के रूप में डेयरी के काम की महत्ता को समझने के लिए और इसे एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने के लिए 'ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम' के अन्तर्गत 955 ग्रामीण युवाओं को भी प्रशिक्षित किया है। पीआईबी ने बच्चों को डेयरी क्षेत्र की महत्ता को समझने हेतु प्रोत्साहित करने और कम्पनी के दुग्ध, दुग्ध उत्पादन एवं गतिविधियों के विषय में जागरूकता का निर्माण करने के दृष्टिकोण के साथ 'बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम' के अन्तर्गत 4002 बच्चों को भी प्रशिक्षित किया है। चार (4) नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रमों का संचालन किया गया जिनमें नेतृत्व करने हेतु तैयार करने के विचार के साथ 76 चुने गए एमआरजी सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

कम्पनी में संचालन की कार्यक्षमता एवं प्रभावकारिता में वृद्धि के दृष्टिकोण के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ग्रुप्स हैड्स के बीच 'नीतिगत संचालन' पर तीन दिनों की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बोर्ड एवं व्यवसायियों के बीच आपसी समझ विकसित करने के दृष्टिकोण के साथ नीतिगत संचालन के लिए औचित्य को समझने का उद्देश्य निहित था।

दुग्ध उत्पादकता में सुधार हेतु शुरू की गई गतिविधियों से परिचित करवाने के लिए, भारत के एक सबसे बड़े एवं सबसे अधिक व्यवसायिक वीर्य केन्द्र – बिडाज, गुजरात की साबरमती आश्रम गौशाला (एसएजी) में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दौरे का आयोजन किया गया। इस वर्ष के दौरान मदर डेयरी, दिल्ली के एकीकृत दुग्ध प्रोसेसिंग संयंत्र का दौरा भी रखा गया। परिचय हेतु दौरों के दौरान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ ऑफिस, नई दिल्ली में डॉ. अमृता पटेल (पूर्व–अध्यक्ष एनडीडीबी) के साथ संवाद करने का अवसर भी प्राप्त हुआ।

उप–परियोजना योजना (Sub Project Plan)

कम्पनी ने निम्नलिखित के लिए नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड में स्थित, परियोजना प्रबंधन इकाई को नेशनल डेयरी योजना – फेज प्रथम के तहत चार उप–परियोजनाओं की योजना पेश की थी:

1. ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस)(Village Based Milk Procurement System)
2. राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आरबीपी) (Ration Balancing Programme)
3. साध्य कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप (Pilot Model for viable Artificial Insemination delivery (AI))
4. चारा विकास (Fodder Development)

परियोजना प्रबंधन इकाई ने नेशनल डेयरी प्लान–फेज प्रथम के तहत ऊपर दी गई सभी उप–परियोजना योजनाओं के लिये अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान की है। सभी चार योजनाओं को कम्पनी के राजस्थान के पाँच संचालन जिलों जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली एवं टोंक में लागू किया जा रहा है।

ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) (Village Based Milk Procurement System)

ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली का उद्देश्य दुग्ध संकलन, जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण सत्रों का संचालन तथा अन्य ऐसी गतिविधियों के द्वारा विभिन्न हितधारक की समताओं को बढ़ाते हुए कम्पनी को मजबूत करना है। इसका ध्येय एक न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी संकलन तंत्र स्थापित करना एवं सदस्यों को उचित व यथासमय भुगतान सुनिश्चित करना है। ग्राम आधारित दुग्ध संकलन प्रणाली द्वारा संगठित डेयरी बाज़ार तक लघु कृषकों की पूरे साल पहुँच बनाये रखकर उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

कम्पनी की योजना राजस्थान के पाँच जिलों के 2716 गाँवों को कवर करना है। परियोजना के अंत में, परियोजना के तहत अनुमानित 1,00,105 सदस्यों को सम्मिलित करने तथा 7.42 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दुग्ध संकलन करने की योजना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत, सभी सहायकों के उन्मुख के लिए कम्पनी के द्वारा 91 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना को समझने के लिए क्षेत्रिय प्रबंधकों, फेसिलिटेटर एवं पीआईबी प्रबंधकों के साथ अनेक सभाएँ की गई। इसके अतिरिक्त सभी एम.सी.सी. एवं फील्ड स्टाफ को इस योजना के तहत गुणवत्ता आश्वासन, संचालन व रख रखाव एवं प्रबंधन टीम निर्माण एवं नेतृत्व, कौशल विकास, प्रेरणा आदि पर विभिन्न कार्यक्रमों के अतंर्गत प्रशिक्षित किया गया है।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आरबीपी) (Ration Balancing Programme)

राशन बैंलेंसिंग प्रोग्राम, पशु पोषण आधारित एक कार्यक्रम है जिसमें कि दुग्ध उत्पादक को उपलब्ध चारा स्रोतों के संतुलित प्रयोग एवं क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण का उपयोग कर दुधारू पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाने हेतु वैज्ञानिक सलाह दी जाती है, जिससे कि दुग्ध उत्पादन की लागत में कमी कर दुग्ध उत्पादक की आय में वृद्धि होती है।

राशन बैंलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुग्ध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुग्ध उत्पादन की लागत कम कर दुग्ध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

कम्पनी एक चरणबद्ध तरीके से 2,700 गाँवों तक राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं को पहुँचाने के लिए तंत्र का सतत विकास कर रही है। ग्राम स्तर पर राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक ग्रामीण युवकों के साथ अनुबन्ध करार किया जा रहा है जिसे स्थानीय स्रोत व्यक्ति (एल.आर.पी.) कहा जाएगा। स्थानीय स्रोत व्यक्ति को ईनाफ सॉफ्टवेयर

(INAPH Software) एवं इंटरनेट कनेक्शन संस्थापित एक नेटबुक प्रदान किया जायेगा, ताकि वह आरबीपी की सलाह प्राप्त कर कृषकों के घर तक पहुँचा सके। एक एल.आर.पी. व्यक्ति दो सशक्त गाँवों में राशन नियंत्रण सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रहा है। स्थानीय स्रोत व्यक्ति को राशन नियंत्रण की विभिन्न प्रक्रियाओं, ईनाफ सॉफ्टवेयर, कृषकों से संवाद तथा पशु पालन व प्रबंधन के मूल तत्वों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त की सहायता से स्थानीय स्रोत व्यक्ति, दुग्ध उत्पादकों को उचित सेवा प्रदान कर रहा है।

गत वर्ष में 47 बुनियादी प्रशिक्षण से 781 एल.आर.पी. को प्रशिक्षित किया गया तथा हमारे 10 पशुपोषण विशेषज्ञ एवं तकनीकी अधिकारियों को आर.बी.पी. प्रशिक्षण के लिये नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड आनंद में भेजा गया है।

चारा विकास (Fodder Development)

राजस्थान में, हरे चारे की उपलब्धता कुछ क्षेत्रों एवं विशेष ऋतु में ही सीमित है। चारागाहों पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण उपलब्ध चारागाह खत्म हो रहे हैं तथा उनका अधिक दोहन हो रहा है। इसके अलावा, तीव्र शहरीकरण के कारण चारागाह सिमटते जा रहे हैं। इससे भी अधिक, अनाजों, तिलहनों एवं दालों की बढ़ती हुई आवश्यकता व कृषि अवशिष्टों के विविध उपयोगों के लिए भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण चारे की माँग एवं आपूर्ति के मध्य अन्तर बढ़ रहा है।

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत आने वाली उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोग की क्षमता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने व चारे के संरक्षण को भी बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

अत: कम्पनी ने चारा विकास संबंधी गतिविधियां प्रारंभ की हैं जैसे: चारा परिरक्षण (साईलेज) पर प्रर्दशन, घास काटने की मशीन संबंधी प्रर्दशन, चारा भण्डारण प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति।

पिछले वर्ष, 2 हजार से अधिक गाँवों को कवर करते हुये 72 ऑटो एंड मेन्युअल मुवर, 47 साइलेज बनाने एवं तीन बायोमास का प्रदर्शन परियोजना के अंतर्गत किया गया।

साध्य कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप

(Pilot Model for viable Artificial Insemination delivery (AI))

कम्पनी ने, किसानो के द्वार तक गुणवत्ता युक्त, उच्च आनुवांशिकी एवं प्रमाणित कार्य प्रणाली का प्रयोग कर कृत्रिम गर्भाधान सेवा सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके। इस योजना के तहत् कम्पनी द्वारा राजस्थान के पाँच जिलों क्रमश: जयपुर, अजमेर, सीकर, पाली, और टोंक के 2700 से अधिक गाँवों का चयन कर 450 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन किया जाना है।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन पश्चात नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ताकि वे प्रमाणित कार्य प्रणाली से कृत्रिम गर्भाधान सेवा सुनिश्चित कर सके।

प्रमाणित कार्य प्रणाली के तहत पशुओ के पंजीकरण हेतु पशु के कान में कुडक लगाई जाती है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनो के बाद पशु की पुन: गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भाधारण की जाँच एवं पशु के ब्याने तक का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) में सुरक्षित रखा जाता है।

कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओ को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कर वास्तविक अनुभव ग्रहण करने हेतु उचित कार्यक्षेत्र में भेजा जाता है। पूर्ण प्रशिक्षण पश्चात उन्हे आवश्यक उपकरण प्रदान कर दुग्ध उत्पादको के घर तक उत्कृष्ठ कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध करवाने हेतु निर्धारित केन्द्र पर नियुक्त किया जाता है, जहाँ पर वह औसत 6–7 गाँवो मे अपनी सेवाएँ प्रदान करता है।

इस कार्य के प्रभावी निरीक्षण, कार्यक्षेत्र में विस्तार एवं प्रमाणित कार्य पद्धति के क्रियान्वयन हेतु लगभग 20 चल कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता पर एक परिवीक्षण अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। लगभग 6–7 परिवीक्षण अधिकारियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करने हेतु एक प्रजनन विशेषज्ञ की नियुक्ति भी की जाती है।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

कम्पनी के विकास में गुणवत्ता ने अहम भूमिका निभाई है। हमारे समस्त दुग्ध अवशीतन केन्द्र (एमसीसी) मूलभूत जाँच सुविधाओं से सुसज्जित हैं। दुग्ध अवशीतन केन्द्रों पर प्रयोगशाला की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कम्पनी ने और अधिक जाँच उपकरणों जैसे कि डिजीटल विद्युतीय काँटे, ओवन, बी. आर. मीटर आदि को उपलब्ध करवाया है। कम्पनी ने कच्चे दूध की गुणवत्ता में निरन्तर सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। कम्पनी ने दुग्ध गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्यरत प्रयोगशाला रसायनज्ञों एवं एमसीसी प्रभारी के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दुग्ध जाँच विधियों, एफएसएसएआई के नियमों, स्वच्छता, सुरक्षा, अच्छी निर्माण कार्य कुशलता व स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, स्थान की सफाई तथा दुग्ध की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अच्छी कार्यशैली के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। सुरक्षा एवं विश्वसनियता को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने एक आवश्यक गुणवत्ता प्रणाली अपनाई है।

निदेशक (Director)

श्री सॉमन बिस्वास कम्पनी के विशेषज्ञ निदेशक के पद का कार्यकाल 29 नवम्बर, 2014 को समाप्त होने से सेवानिवृत हुए। बोर्ड ने श्री सॉमन बिस्वास द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दी गई सेवाओं की सराहना की है।

डॉ. सी.एल. दाधीच को दिनांक 29 नवम्बर, 2014 से कम्पनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

श्री इन्द्र सिंह भाटी, श्री लाल चंद चौधरी एवं श्रीमती कौशल्या कुमारी जोकि कम्पनी के निदेशक थे, उन्होंने क्रमश: दिनांक 12 मार्च, 2015, 14 मार्च, 2015 एवं 16 मार्च, 2015 को अपना त्याग–पत्र दे दिया है। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कंपनी को दिये गये सहयोग हेतु धन्यवाद देता है।

श्री अनिल कुमार माथुर कम्पनी के निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी के पद का कार्यकाल 31 मई, 2015 को समाप्त होने से सेवानिवृत हुए। बोर्ड ने श्री अनिल कुमार माथुर द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दी गई सेवाओं की सराहना की है।

श्री रतन कुमार सिंह को दिनांक 01 जून, 2015 से कम्पनी के निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी के रूप में पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

डॉ. ओमवीर सिंह को दिनांक 03 जुलाई, 2015 से कम्पनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया हैं।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुन: नियुक्ति

कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षता एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहाँ तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षता के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गों

श्रेणी–ए, श्रेणी–बी तथा श्रेणी–सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कंपनी की प्रथम वार्षिक आम–सभा में अनुमोदित किया गया था।

आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में संरक्षता के मानदण्ड पूरे करने अथवा नहीं करने पर यह पाया गया कि कुल सदस्यों में से 67 प्रतिशत सदस्यों ने ही अपनी श्रेणी के आधार पर 31 मार्च, 2015 को दिये गये संरक्षता के मानदण्डों को पूरा किया हैं। इसी प्रकार इन 67 प्रतिशत सदस्यों में से क्रमश: 9 प्रतिशत श्रेणी–ए, 18 प्रतिशत श्रेणी–बी तथा 73 प्रतिशत श्रेणी–सी के हैं। जबकि उक्त श्रेणी ए, बी एवं सी के मध्य उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दुग्ध की मात्रा का अनुपातिक प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान क्रमश: 45%, 26% एवं 29% था। इसी प्रकार बोर्ड की संरचना में सभी वर्गों को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमश: श्रेणी–ए में 5, श्रेणी–बी में 3 तथा श्रेणी–सी में 3 निदेशक होते है। वर्तमान बोर्ड उपरोक्त वर्णित अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :–

श्रेणी–ए के निदेशक :–

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार श्री अनिल कुमार, कम्पनी के निदेशक, श्रेणी ए के प्रतिनिधि जो चतुर्थ वार्षिक आम सभा में चक्रिय क्रम से सेवानिवृत (Retire by Rotation) होने के लिये उत्तरदायी है और अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तुत करते हैं। नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने उनकी पुन: नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशक की पुन: नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की चतुर्थ वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार श्री सुखपाल जाट, निदेशक, जोकि आगामी चतुर्थ आम सभा में सेवानिवृत होंगे और अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तुत नहीं करते हैं।

नामांकन समिति की अनुशंसा पर, बोर्ड ने श्रीमती ममता चौधरी जोकि श्रेणी ए की प्रतिनिधि हैं को श्रेणी ए के रिक्त स्थान पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है। निदेशक की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की चतुर्थ वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी ए के कुल चार निदेशक हो जायेंगे।

श्रेणी–बी के निदेशक :–

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 निदेशक हैं इसलिये आगामी चतुर्थ वार्षिक आम सभा में निदेशकों की श्रेणी बी में कोई सेवानिवृति /चुनाव नहीं हैं।

श्रेणी–सी के निदेशक :–

बोर्ड में संरक्षता के आधार पर श्रेणी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए और श्रेणी सी के तीन रिक्त पदों को भरने के लिए, बोर्ड नामांकन समिति की अनुशंसा पर, श्री सेडमल शर्मा, श्री जय सिंह राठौड़ एवं श्री मेवाराम बैरवा जो श्रेणी सी के प्रतिनिधि हैं को नियुक्ति करने की अनुशंसा करता है। निदेशक की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की चतुर्थ वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ संलग्नक है।

अनुच्छेद 9.5 एवं 9.6 के अनुसार कम्पनी में श्रेणी सी के कुल 3 निदेशक हो जायेंगे।

सदस्यता/वोट देने का अधिकार/अंश पूंजी

31 मार्च, 2015 को प्रदत्त अंश पूंजी रु 15.41 करोड़ है, जबकि कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 69,647 सदस्य दर्शाये गये हैं। इस समीक्षा अवधि के दौरान 3136 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नही करने के कारण रद्द/समर्पित कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2015 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 10,909 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है तथा 8213 सदस्यों की सदस्यता वित्तीय वर्ष 2014–15 मापदण्ड पूरे नहीं करने के कारण रद्द/समर्पित कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 72,343 है जबकि कुल प्रदत्त अंश पूंजी रु. 15.91 करोड़ है।

सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए अथवा श्रेणी बी अथवा श्रेणी सी (जो भी लागू हो) के सरंक्षता मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें। जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रुप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति:

कुल 69647 सदस्यों में से 27224 सदस्यों को चतुर्थ वार्षिक आम सभा में वोट देने का अधिकार है तथा पिछले वित्तीय वर्ष 2014–15 में न्यूनतम 200 दिन में कम से कम 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति नही करने के कारण शेष 42423 सदस्यों को चतुर्थ वार्षिक आमसभा में अपना वोट देने का अधिकार नहीं हैं।

नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2015 के बाद कंपनी में शामिल किया गया हैं, वे वित्तीय वर्ष 2014–15 के लाभांश एवं चतुर्थ वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नही होंगे।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2AA) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल इसके सदस्यों को सूचित करता है कि:–

a) वित्तीय वर्ष के लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखाकंन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए है जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

c) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।

d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति (Internal Control System)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZF की अनुपालना में अरनेस्ट एंड यंग एल.एल.पी. चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया है जोकि स्वंतत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ–साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते रहते है।

अंकेक्षक (Auditors)

मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल आगामी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा योग्य होने के कारण उनकी पुन:नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुन:नियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 224 (1B) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

निदेशक मंडल, मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी चतुर्थ आम सभा में नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2A) को कम्पनी नियम, 1975 के साथ पढा जाये के अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी ने किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक/प्रतिफल के रूप में कुल मिलाकर रु. 60 लाख वार्षिक अथवा रु. 5 लाख प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त नही की है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी :–

(Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1)(e) के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में इसे (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) कम्पनी नियम, 1988 के साथ पढा जाये।

(i) कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नही होते है।

(ii) विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते है, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते है।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड–डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मंडल

ह./–

(अनिल कुमार)

अध्यक्ष एवं निदेशक

स्थान : जयपुर

दिनांक : 04 अगस्त, 2015

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

सदस्यों के लिये स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन (Auditors' Report)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2015 को कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), लाभ–हानि तथा रोकड़ प्रवाह विवरण दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिये पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों, संक्षिप्त महत्वपूर्ण अकांउटिंग नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित विषयों एवं अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखा मानकों (अकांउटिंग स्टैण्डर्ड) को कम्पनीज़ (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने के सन्दर्भ में तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल का दायित्व कम्पनी के वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करना है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हों। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख–रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

अंकेक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षक के मानकों एवं अधिनियम के अतंर्गत बने नियमों के अनुसार, अंकेक्षक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले विषय को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुसार अंकेक्षण किया है। इन मानकों के लिये आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए अंकेक्षण की योजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें जिससे इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि वित्तीय लेखे सभी प्रकार के गलत तथ्यात्मक कथनों से मुक्त हों।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकाशित तथ्यों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया अपनाना शामिल है। अंकेक्षण के लिए चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कपटपूर्ण या गलती से दिये गलत तथ्यात्मक कथनों से संबंधित जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया तैयार करने हेतू अंकेक्षक इस प्रकार की जोखिम का निर्धारण करने के लिए कम्पनी के उन सभी आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है जो कम्पनी के वित्तीय लेखे तैयार कर उसके सही एवं उचित प्रस्तुतीकरण करने में आवश्यक हैं। परन्तु कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के होने और इसकी प्रभावशीलता

पर अपने विचार प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है। साथ ही अंकेक्षण का उद्देश्य लेखांकन के लिये प्रयोग की जा रही नीतियों की औचित्यता तथा कम्पनी के निदेशकों के लेखांकन अनुमानों की तार्किकता के साथ–साथ लेखों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य वित्तीय विवरण पर अंकेक्षण राय प्रकट करने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय (Opinion)

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, अधिनियम के तहत् चाही गई सूचनाऐं देते हैं साथ ही 31 मार्च, 2015 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाऐं देते हैं।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 (आदेश) के अर्न्तगत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर विवरण अनुलग्नक 1 में दिया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA की धारा 581ZG में वर्णित मुद्दों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के भाग IXA के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर लागू होंगें जिस प्रकार अधिनियम, 1956 में लागू थे जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं किया जाता) पर हमनें विवरण अनुलग्नक 2 में दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–

   (अ) हमने वे सभी सूचनाऐं एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

   (ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखे हैं जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

   (स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   (द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में वर्णित लेखा मानकों जो कि कम्पनीज़ (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाते हैं के अनुरूप हैं।

   (य) कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2015 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।

   (र) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाऐं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:–

i. कम्पनी का ऐसा कोई भी लम्बित मुकदमा नहीं है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाले।

ii. कम्पनी का कोई भी व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घकालीन अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई महत्वपूर्ण अनिवार्य हानियाँ हो।

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण किए जाने वाली कोई भी राशि नहीं है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–1

हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ''अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं'' के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट

कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति एवं इस अवधि के दौरान कम्पनी के परिणामों की प्रकृति को देखते हुए आदेश के पेराग्राफ 3 के उपनियम (vi) कम्पनी पर लागू नही होते हैं।

(i) **कम्पनी की अचल संपत्तियों के संबंध में :–**

अ. कम्पनी ने अचल संपत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नही पाई गई है।

(ii) **कम्पनी के स्टॉक के संबंध में :–**

अ. हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबंधन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है।

ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारी राय में प्रबंधन द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कम्पनी के आकार तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार उचित एवं सही है।

स. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा स्टॉक का उचित रिकॉर्ड रखा गया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(iii) कम्पनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मो या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के रजिस्टर में दर्ज किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है।

(iv) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए खरीदे गये कुछ सामान विशेष प्रकृति के हैं तथा इनके उपयुक्त विकल्प तुलनात्मक कोटेशन प्राप्त करने के लिए सरलता से उपलब्ध नही हैं, कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार माल व अचल संपत्तियाँ क्रय करने तथा माल के विक्रय हेतु उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। वर्ष के दौरान कम्पनी का संचालन सेवाओं की किसी भी बिक्री को उत्पन्न नहीं होने देता है। अंकेक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में हमें कोई महत्वपूर्ण कमी नज़र नही आई।

(v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की हैं, इसलिये आदेश के उपनियम 3(v) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही होते हैं।

(vi) वैधानिक देय के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :–

अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवाद तौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य–निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर, वैट, सेस तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले

महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यो के कारण किसी भी प्रकार का कोई सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं धन कर जैसा कोई भी दायित्व उत्पन्न नही हुआ है।

ब. 31 मार्च 2015 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, विक्रय कर, वैट, धन कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको भुगतान की जाने की तारीख से 6 माह हो गये हों।

स. आय कर, विक्रय कर, वैट, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेस की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2015 को देय नही है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नही कराया गया हो।

द. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के लागू होने वाले प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरित होने वाली कोई भी राशि देय नहीं है।

(vii) कम्पनी को पूर्ववृति वित्तीय वर्ष एवं हमारे द्वारा अंकेक्षण किए गये वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी नकदी हानि नहीं हुई है एवं वित्तीय वर्ष के अंत तक कम्पनी में कोई भी संचित हानि नहीं है।

(viii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों को बकाया की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है। कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण–पत्र (डिबेंचर) जारी किये हैं।

(ix) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अन्य के द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की कोई गारंटी नहीं दी है।

(x) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जिस उद्देश्य के लिये सावधि ऋण लिया था, उसका उपयोग कम्पनी ने उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया है, जिसमें अस्थाई परिनियोजन लंबित आवेदन शामिल नहीं हैं।

(xi) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी के द्वारा या कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस वर्ष के दौरान ना ही सामने आया है और ना ही रिपोर्ट किया गया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–2

हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ''अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं'' के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट

1. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ो की नोट 16 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं हैं।

2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

3. 31 मार्च, 2015 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2015 को समाप्त एवं उसके दौरान वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।

4. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरूद्ध हो।

5. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं दिया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को आर्थिक चिट्ठा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2015 को स्थिति	31 मार्च 2014 को स्थिति
क.	**शेयर एवं दायित्व**			
	1. अंशधारकों का कोष			
	(अ) अंश पूंजी	3	15,41,18,900	9,18,26,300
	(ब) संचित एवं अधिशेष	4	7,92,76,141	78,04,643
			23,33,95,041	**9,96,30,943**
	2. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	15,04,98,473	5,60,87,413
	3. गैर-चालू दायित्व			
	(अ) दीर्घकालीन ऋण	6	6,29,60,000	6,29,60,000
	(ब) दीर्घकालीन प्रावधान	7	3,19,420	–
	(स) स्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	8	54,40,955	21,21,190
			6,87,20,375	**6,50,81,190**
	4. चालू दायित्व			
	(अ) अल्पकालीन ऋण	9	–	5,55,84,193
	(ब) व्यापारिक देनदारियां	10	32,76,22,478	6,88,19,157
	(स) अन्य चालू दायित्व	11	17,49,31,286	17,31,06,585
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	12	2,15,99,517	1,33,80,495
			52,41,53,281	**31,08,90,430**
	योग		**97,67,67,170**	**53,16,89,976**
ख.	**संपत्तियां**			
	1. गैर चालू संपत्तियां			
	(अ) स्थायी संपत्तियां			
	(i) मूर्त संपत्तियां	13अ	25,91,64,616	12,49,28,945
	(ii) अमूर्त संपत्तियां	13ब	1,85,81,887	68,301
	(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	13स	4,33,71,059	7,11,26,511
			32,11,17,562	**19,61,23,757**
	(ब) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	14	19,56,806	10,70,648
			32,30,74,368	**19,71,94,405**
	2. चालू संपत्तियां			
	(अ) स्टॉक	15	4,39,31,143	3,43,16,899
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	16	25,00,21,950	3,94,24,810
	(स) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	17	34,93,81,309	25,06,54,853
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	41,83,267	51,16,369
	(य) अन्य चालू संपत्तियां	19	61,75,133	49,82,640
			65,36,92,802	**33,44,95,571**
	योग		**97,67,67,170**	**53,16,89,976**

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-
अनिल कुमार
निदेशक

ह./-
मंजू जाखड़
निदेशक

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

ह./-
कपिल पचौरी
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	व्यवसायिक गतिविधियों से आय	20	5,96,83,06,041	4,38,63,92,603
2.	अन्य आय	21	2,64,21,217	99,45,545
3.	**कुल आय (1+2)**		**5,99,47,27,258**	**4,39,63,38,148**
4.	**व्यय**			
	(अ) खपत की गई सामग्रीयों की लागत	22	3,02,68,643	5,68,11,402
	(ब) व्यवसायिक माल का क्रय	23	5,26,80,16,191	3,92,61,84,814
	(स) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन	24	(56,99,417)	(99,36,164)
	(द) कर्मचारियों संबंधी व्यय	25	6,23,59,707	4,74,20,927
	(य) वित्त लागत	26	94,23,268	12,42,305
	(र) मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	13	1,58,65,760	1,28,91,410
	(ल) अन्य व्यय	27	47,48,46,633	33,51,01,752
	कुल व्यय		**5,85,50,80,785**	**4,36,97,16,446**
5.	**कर पूर्व लाभ (3–4)**		13,96,46,473	2,66,21,702
6.	**कर व्यय**			
	(अ) चालू कर		4,63,05,832	76,58,242
	(ब) स्थगित कर शुल्क (Deferred Tax Charge)		33,19,765	14,07,023
	शुद्ध कर व्यय		**4,96,25,597**	**90,65,265**
7.	**वर्ष का लाभ (5–6)**		**9,00,20,876**	**1,75,56,437**
8.	**प्रति समता अंश आय:**	31		
	(न्यूनतम मूल्य रु.100/– प्रति शेयर)			
	(अ) मूल		87.52	38.44
	(ब) डायल्यूटेड		87.52	38.44

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स

ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–
अनिल कुमार
निदेशक

ह./–
मंजू जाखड़
निदेशक

ह./–
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

ह./–
कपिल पचौरी
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का रोकड प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	**व्यवसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह :**		
	कर से पूर्व लाभ	13,96,46,473	2,66,21,702
	समायोजन के लिये :		
	वित्त लागत	79,08,569	10,13,336
	ब्याज से आय	(1,46,99,644)	(80,27,122)
	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	3,19,420	(1,56,767)
	मूल्य ह्रास तथा क्षति संबंधी व्यय	1,58,65,760	1,28,91,410
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यवसायिक लाभ	**14,90,40,578**	**3,23,42,559**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन		
	स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(96,14,244)	(1,19,03,395)
	व्यापारिक लेनदारियों में कमी/(वृद्धि)	(21,05,97,140)	(3,58,87,512)
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	–	(1,68,000)
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	9,33,103	82,46,196
	व्यापारिक देनदारियों में(कमी)/वृद्धि	25,88,03,319	4,49,29,229
	अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/वृद्धि	1,19,42,662	10,22,40,839
	व्यवसाय से उत्पन्न रोकड़	**20,05,08,278**	**13,97,99,916**
	शुद्ध आय कर (भुगतान) / वापसी	(4,62,92,970)	(47,73,645)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(कमी)(अ)	**15,42,15,308**	**13,50,26,271**
ब.	**निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	(3,64,76,855)	(9,80,95,424)
	अचल संपत्तियों पर पूंजीगत व्यय (प्राप्त पूँजीगत अनुदान से समायोजित)	(5,70,52,624)	(11,15,80,090)
	प्राप्त ब्याज	1,35,07,151	41,37,736
	निवेशकीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(कमी)(ब)	**(8,00,22,328)**	**(20,55,37,778)**
स.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**		
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियाँ	6,22,92,600	4,95,28,500
	दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्तियाँ	–	6,29,60,000
	कार्यशील पूंजी ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(5,55,84,193)	5,55,84,193
	भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	(1,07,43,218)	(17,32,021)
	वित्त लागत भुगतान	(79,08,569)	(10,13,336)
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह /(कमी)(स)	**(1,19,43,380)**	**16,53,27,336**
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+ब+स)	**6,22,49,601**	**9,48,15,829**
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	9,75,59,429	27,43,600
	वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	**15,98,09,030**	**9,75,59,429**
	निम्न में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
	बैंकों में शेष:		
	चालू खातों में	15,98,09,030	9,75,59,429
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण अनुसार	15,98,09,030	9,75,59,429
	जोड़िये : बैंक शेष जो कि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	18,95,72,279	15,30,95,424
	चिट्ठे के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष (नोट 17)	**34,93,81,309**	**25,06,54,853**

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेट्स

ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

स्थान : गुड़गांव
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-
अनिल कुमार
निदेशक

ह./-
मंजू जाखड़
निदेशक

ह./-
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./-
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

ह./-
कपिल पचौरी
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

1. कम्पनी के बारे में

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था।

कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक एवं घी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार एवं कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं :-

a. लेखांकन का आधार

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान 133 को कम्पनीज़ (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढे जाने के सन्दर्भ में और कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम 2013'') /कम्पनी अधिनियम 1956 (''अधिनियम 1956'') के संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये हैं। एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 के भाग IX के प्रावधान प्रोड्यूसर कम्पनी पर उसी प्रकार लागू होंगें जब तक की कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानो को निरस्त नहीं कर दिया जाता है। कम्पनी के वित्तीय विवरण उपचय लेखांकन (Accual Accounting) के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियो के संगत में इस वर्ष भी उन्हीं नीतियों का पालन किया गया है।

b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग संपत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाली आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कम्पनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

c. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में जमायें शामिल है। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हे किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

d. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है जिससे लाभ हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाले राशियाँ, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त की गई राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

e. आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

f. अन्य आय

जमाओं पर ब्याज की आय को उपार्जित के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

g. अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल संपत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रास/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोडकर जो कर अधिकारियों से पुन: वापस लिया जाना है), किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लाने के लिये किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने के हेतु लिये गये ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतू चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल संपत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पूंजीकरण किया जाता है।

h. प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियां जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबंधित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

i. मूल्य ह्रास तथा परिशोधन

मूर्त / अमूर्त सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास सम्पत्तियों के उपयोगी अस्तित्व पर सम्पत्तियों की प्रकृति, सम्पत्तियों का अनुमानित उपयोग, सम्पत्तियों की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन के अतीत का इतिहास, अपेक्षित तकनीकी परिवर्तन, प्रौदयौगिक आश्वासन एवं रख–रखाव समर्थन आदि के आाधर पर तकनीकी सलाह के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

मूल्य–ह्रास लगाने के लिये उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) निम्न प्रकार है:–

विवरण	उपयोगी अस्तित्व (वर्षो में)
प्लांट एवं उपकरण	10
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	15
कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर्स	3
ऑफिस इक्यूपमेंट	10
ट्रेड मार्क	5

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

सभी एकल संपत्तियाँ जिनकी लागत रु. 5000/– या इससे कम है उन पर पूंजीकरण वर्ष में पूर्ण मूल्य–ह्रास लगाया गया है।

j. स्टॉक

स्टॉक में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग माल, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल हैं। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर एवं अप्रचलन व अन्य हानियाँ प्रदान करने के पश्चात् वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतू किये गये हैं। तैयार माल में उपरी खर्चो का उचित अनुपात सम्मिलित है।

k. अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती हैं जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तो का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य–ह्रास संबंधित स्थायी सम्पत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे अस्थगित अनुदान के तहत माना जाता हैं तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के आधार पर एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता हैं, ऐसे अनुदान से क्रय की गई सम्पतियों पर मूल्य ह्रास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य ह्रास राशि को कम करते हुए लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है।

आयगत सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चो की सूचना देते समय इस आय को खर्चो में से घटा दिया जाता है।

l. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल हैं।

(a) निर्धारित योगदान योजनायें।

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(b) निर्धारित लाभ योजनायें।

गेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है। प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(c) अल्प–कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है। जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की संभावना है।

(d) दीर्घ–कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नही थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

m. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर पश्चात् शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात् के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशो की संख्या (एन्टी डायल्यूटेड समता अंशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है।

n. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (Deferred Tax) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न

समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर–शोषित–मूल्य ह्रास (Unabsorbed Depreciation) एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुऐ कि भविष्य में प्रर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर–शोषित–मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

o. ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे संबंधित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता हैं। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता है। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता है।

p. संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी संपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नही हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व–बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खातें में आय के रूप में माना जाता है।

q. प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब कम्पनी को किसी पूर्वकालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्रोतो का बर्हिगमन होगा, जिसके लिये उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठे बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे बनाने की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतू समायोजित किया जाता है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नही जाता है। आकस्मिक दायित्वों को लेखां नोटस में दर्शाया जाता है।

r. लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

s. महत्वपूर्ण घटनायें

चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

t. संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को स्थिति		31 मार्च 2014 को स्थिति	
		अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
3.	**अंश पूंजी**				
	(अ) अधिकृत अंश पूंजी प्रति समता अंश राशि रु. 100/-	**20,00,000**	**20,00,00,000**	**20,00,000**	**20,00,00,000**
	(ब) जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी प्रति समता अंश राशि रु. 100/-	**15,41,189**	**15,41,18,900**	**9,18,263**	**9,18,26,300**

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :-

नोट्स :-

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कम्पनी ने एक श्रेणी के रु. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का अधिकारी है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ तथा समापन पर समता अंशों तथा अदत्त राशियों का मिलान :

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	
		अंशों की संख्या	राशि (₹ में)	अंशों की संख्या	राशि (₹ में)
	वर्ष के आरंभ में अदत्त अंश	9,18,263	9,18,26,300	4,22,978	4,22,97,800
	वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	6,22,926	6,22,92,600	4,95,285	4,95,28,500
	वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	**15,41,189**	**15,41,18,900**	**9,18,263**	**9,18,26,300**

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूंजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक की अंश पूंजी नही है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को स्थिति	31 मार्च 2014 को स्थिति
4.	**संचित एवं अधिशेष**		
	(अ) सामान्य संचय		
	प्रारम्भिक शेष	78,04,643	–
	जोड़िये : लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से अंतरित	7,14,71,498	78,04,643
	अन्तिम शेष	**7,92,76,141**	**78,04,643**
	(ब) लाभ–हानि विवरण में अधिशेष		
	प्रारम्भिक शेष	–	9,91,424
	जोड़िये : वर्ष का लाभ	9,00,20,876	1,75,56,437
	घटाईये : प्रस्तावित सीमित लाभांश (डीविडेंड)	1,54,11,890	91,82,630
	(रु.10/– प्रति समता अंश)		
	प्रस्तावित सीमित लाभांश (डीविडेंड) पर कर	31,37,488	15,60,588
	सामान्य संचय में हस्तांतरित	7,14,71,498	78,04,643
	अन्तिम शेष	–	–
		7,92,76,141	**78,04,643**
5.	**स्थगित अनुदान (Deferred Grant)**		
	प्रारम्भिक शेष	5,60,87,413	–
	वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान का उपयोग (नोट 33 को देखें)	11,29,70,611	5,61,00,951
	घटाईये : अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	1,85,59,551	13,538
	अन्तिम शेष	**15,04,98,473**	**5,60,87,413**
6.	**दीर्घकालीन ऋण**		
	सुरक्षित		
	नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड (NDDB) से सावधि ऋण	6,29,60,000	6,29,60,000
		6,29,60,000	**6,29,60,000**

नोट्स :

(i) सुरक्षित ऋण के लिये दी गई प्रतिभूति का विवरण निम्न प्रकार है:–

कम्पनी के सावधि ऋण को कम्पनी की चल सम्पत्तियों, वर्तमान तथा भविष्य, पर प्रथम प्रभार से सुरक्षित किया गया है जिसमें दृष्टिबन्धक बही ऋण, कच्चे माल का स्टॉक, अर्ध तैयार माल एवं तैयार माल, उपभोगीय सामग्री एवं अन्य बही ऋण, ऐसी अन्य सम्पत्तियाँ जो कि व्यापार की सामान्य कार्यवाही के लिए कार्यशील पूँजी के सम्बंध में बैंकरों के पक्ष में प्रथम प्रभार में रखी गई है, शामिल नहीं है।

(ii) दीर्घकालीन ऋणों के वापसी अदायगी की शर्तें निम्न प्रकार है:–

ऋण पर 9% वार्षिक ब्याज देय है और यह सात वर्ष के दौरान 60 समान मासिक किस्तों में देय है जिसमें मूल के पुर्नभुगतान के लिए 2 वर्षों की मॉरटोरियम की अवधि है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को स्थिति	31 मार्च 2014 को स्थिति
7.	**दीर्घकालीन प्रावधान**		
	(अ) कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान :		
	(i) ग्रेच्यूटी हेतु	3,19,420	–
		3,19,420	**–**
8.	**स्थगित कर दायित्व (शुद्ध) (Deferred tax liability (Net))**		
	(i) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का हिस्सा हैं :		
	(अ) अचल संपत्तियों के पुस्तकों के शेष एवं कर शेषों में अंतर पर	60,25,336	38,91,352
		60,25,336	**38,91,352**
	(ii) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर संपत्तियों का हिस्सा है :		
	(अ) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों तथा ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान	1,10,545	–
	(ब) आयकर अधिनियम की धारा 40(a)(i)(a) के अंतर्गत अस्वीकृत।	1,73,040	13,47,167
	(स) आयकर अधिनियम की धारा 35D के अंतर्गत अस्वीकृत।	3,00,796	4,22,995
		5,84,381	17,70,162
	शुद्ध स्थगित कर दायित्व/(संपत्तियां)	**54,40,955**	**21,21,190**
9.	**अल्पकालीन ऋण**		
	(अ) बैंको से कार्यशील पूंजी ऋण	–	5,55,84,193
	(बैंकों में सावधि जमा से सुरक्षित)	**–**	**5,55,84,193**
10.	**व्यापारिक देनदारियाँ**		
	(अ) व्यापारिक देनदारियाँ (स्वीकृतियों को छोड़कर)	32,76,22,478	6,88,19,157
	(नोट 34 को देखें)	**32,76,22,478**	**6,88,19,157**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को स्थिति	31 मार्च 2014 को स्थिति
11.	**अन्य चालू दायित्व**		
	(अ) प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि एवं लौटाने योग्य	99,61,005	40,84,578
	(ब) वैधानिक देय (भविष्य निधि में योगदान, कर रोका हुआ, सेवाकर, वैट आदि)	31,75,127	14,44,698
	(स) अचल संपत्तियों के क्रय हेतु देय	3,48,82,039	4,50,00,000
	(द) व्यवसायिक/प्राप्त प्रतिभूति जमायें	5,37,54,743	2,81,45,708
	(य) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	33,84,804	3,20,754
	(र) प्राप्त अनुदान (उपयोग समायोजित के बाद) (नोट 33 देखें)	6,97,73,568	9,41,10,847
		17,49,31,286	**17,31,06,585**
12.	**अल्पकालीन प्रावधान**		
	(अ) प्रस्तावित सीमित लाभांश (डीविडेंड) हेतु प्रावधान	1,54,11,890	91,82,630
	(ब) प्रस्तावित सीमित लाभांश (डीविडेंड) पर कर का प्रावधान	31,37,488	15,60,588
	(स) आयकर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर रु. 4,47,70,392; पिछले वर्ष रु. 52,49,934)	30,50,139	26,37,277
		2,15,99,517	**1,33,80,495**

13. अचल संपत्तियां

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है। (राशि ₹ में)

	विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक			संचित मूल्य ह्रास			शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2014 को स्थिति	वृद्धि	31 मार्च 2015 को स्थिति	1 अप्रैल, 2014 को स्थिति	वर्ष में मूल्य ह्रास की राशि	31 मार्च, 2015 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति	31 मार्च, 2014 को स्थिति
(अ)	मूर्त संपत्तियां (स्वयं की)								
	बिल्डिंग	–	31,90,183	31,90,183	–	8,879	8,879	31,81,304	–
	प्लांट एवं उपकरण	13,75,46,253	10,62,94,398	24,38,40,651	1,57,67,121	1,90,69,677	3,48,36,798	20,90,03,853	12,17,79,132
	फर्नीचर तथा फिक्चर्स	12,47,651	1,26,39,437	1,38,87,088	90,871	2,72,857	3,63,728	1,35,23,360	11,56,780
	ऑफिस उपकरण	8,58,704	44,87,968	53,46,672	94,740	4,96,513	5,91,253	47,55,419	7,63,964
	कम्प्यूटर	19,13,477	3,83,13,475	4,02,26,952	6,84,408	1,08,41,864	1,15,26,272	2,87,00,680	12,29,069
	योग (अ)	**14,15,66,085**	**16,49,25,461**	**30,64,91,546**	**1,66,37,140**	**3,06,89,790**	**4,73,26,930**	**25,91,64,616**	**12,49,28,945**
	गत वर्ष	(11,57,58,179)	(2,58,07,906)	(14,15,66,085)	(37,50,192)	(1,28,86,948)	(1,66,37,140)	(12,49,28,945)	(11,20,07,987)
(ब)	**अमूर्त संपत्तियां** (स्वयं के अलावा अन्य अर्जित)								
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	–	2,22,49,107	2,22,49,107	–	37,17,521	37,17,521	1,85,31,586	–
	ट्रेडमार्क	90,000	–	90,000	21,699	18,000	39,699	50,301	68,301
	योग (ब)	**90,000**	**2,22,49,107**	**2,23,39,107**	**21,699**	**37,35,521**	**37,57,220**	**1,85,81,887**	**68,301**
	गत वर्ष	(90,000)	–	(90,000)	(3,699)	(18,000)	(21,699)	(68,301)	(86,301)
(स)	**प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य**	–	–	–	–	–	–	4,33,71,059	7,11,26,511
	योग (स)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**4,33,71,059**	**7,11,26,511**

नोट्स :

		31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि ₹ में)	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि ₹ में)
(i)	मूल्य ह्रास एवं संपत्तियों की क्षति संबंधी खर्चे		
	मूर्त संपत्तियों पर	3,06,89,790	1,28,86,948
	अमूर्त संपत्तियों पर	37,35,521	18,000
	घटाईए : अनुदान से खरीदी गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास	1,85,59,551	13,538
		1,58,65,760	**1,28,91,410**

(ii) **पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई एवं उपरोक्त सारणी में सम्मिलित सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है (नोट 33 देखें) :-** (राशि ₹ में)

सम्पत्तियाँ	सकल ब्लॉक			संचित मूल्य ह्रास			शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2014 को स्थिति	वृद्धि	31 मार्च 2015 को स्थिति	1 अप्रैल, 2014 को स्थिति	वर्ष में मूल्य ह्रास की राशि	31 मार्च, 2015 को स्थिति	31 मार्च, 2015 को स्थिति	31 मार्च, 2014 को स्थिति
मूर्त संपत्तियां :								
बिल्डिंग	–	31,90,183	31,90,183	–	8,879	8,879	31,81,304	–
प्लांट एवं उपकरण	17,10,000	6,54,05,197	6,71,15,197	13,538	40,47,195	40,60,733	6,30,54,464	16,96,462
ऑफिस उपकरण	–	44,54,088	44,54,088	–	4,11,986	4,11,986	40,42,102	–
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	–	1,21,40,256	1,21,40,256	–	1,74,652	1,74,652	1,19,65,603	–
कम्प्यूटर –	3,82,96,750	3,82,96,750	–	1,02,03,167	1,02,03,167	2,80,93,583	–	
अमूर्त संपत्तियां								
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	–	2,22,37,557	2,22,37,557	–	37,13,672	37,13,672	1,85,23,885	–
योग	**17,10,000**	**14,57,24,031**	**14,74,34,031**	**13,538**	**1,85,59,551**	**1,85,73,089**	**12,88,60,941**	**16,96,462**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को स्थिति	31 मार्च 2014 को स्थिति
14.	**दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) पूंजीगत अग्रिम	4,86,158	–
	(ब) प्रतिभूति जमा	1,98,000	1,98,000
	(स) अग्रिम कर (स्रोत पर कर की कटौती सहित)	12,72,648	8,72,648
		19,56,806	**10,70,648**
15.	**स्टॉक**		
	(लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो कम हो उस पर)		
	(अ) कच्चा माल	–	3,00,745
	(ब) तैयार माल	17,00,288	80,51,015
	(स) स्टॉक इन ट्रेड	1,15,19,564	1,03,76,338
	(द) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	2,45,80,911	1,36,73,993
	(य) स्टोर्स तथा स्पेयर्स	61,30,380	19,14,808
		4,39,31,143	**3,43,16,899**
16.	**व्यापारिक लेनदारियाँ**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) देय तिथि से 6 माह की कम अवधि के लिए बकाया	25,00,21,950	3,94,24,810
		25,00,21,950	**3,94,24,810**
17.	**रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य**		
	(अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	(i) बैंक में जमा :		
	(अ) चालू खातों में	15,98,09,030	9,75,59,429
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य लेखा मानक 3 के अनुसार– रोकड़ प्रवाह विवरण	**15,98,09,030**	**9,75,59,429**
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	(i) जमा खातों में (वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से अधिक)	18,95,72,279	15,30,95,424
		34,93,81,309	**25,06,54,853**

नोट :

(i) बैंक में जमा राशि में रु. 1,60,00,000 (पिछले वर्ष रु. 1,60,00,000) की इस प्रकार की राशि जमा है, जिसकी परिपक्वता अवधि आर्थिक चिट्ठे की तिथि से 12 माह से अधिक है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को स्थिति	31 मार्च 2014 को स्थिति
18.	**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम	1,23,162	1,740
	(ब) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	16,41,984	34,67,695
	(स) पूर्व प्रदत्त व्यय	16,28,828	16,46,934
	(द) वैट प्राधिकरण के पास शेष	7,89,293	–
		41,83,267	**51,16,369**
19.	**अन्य चल संपत्तियां**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) ब्याज उपार्जित परन्तु बैंक जमाओं पर देय नहीं	61,75,133	49,82,640
		61,75,133	**49,82,640**
20.	**व्यवसायिक गतिविधियों से आय**		
	(अ) उत्पादों की बिक्री		
	(i) सकल विक्रय	6,25,27,74,289	4,43,36,48,428
	(ii) घटाईये : दुग्ध प्रोसेसरों को विक्रय (निर्दिष्ठ नोट संख्या (i) देखें)	28,44,68,248	4,72,55,825
	(iii) शुद्ध विक्रय	**5,96,83,06,041**	**4,38,63,92,603**

नोट्स : (i) दुग्ध प्रोसेसरों को विक्रय का तात्पर्य कम्पनी द्वारा प्रोसेसिंग (Processing) एवं पैंकिंग के लिए विभिन्न डेयरियों /संघों को आपुर्तित किया गया दुग्ध है।

	विक्रय किये गये उत्पाद		
(ii)	व्यवसायिक माल		
	(अ) कच्चा दुग्ध	5,48,05,94,144	4,23,86,33,823
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	30,67,42,685	5,06,83,103
	(स) पशु आहार	12,99,37,445	4,12,35,705
	कुल	**5,91,72,74,274**	**4,33,05,52,631**
(iii)	निर्मित माल		
	(अ) घी	3,19,92,781	3,68,00,986
	(ब) स्कीमड दुग्ध	1,90,38,986	1,90,38,986
	कुल	**5,10,31,767**	**5,58,39,972**
	योग (ii + iii)	**5,96,83,06,041**	**4,38,63,92,603**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
21.	**अन्य आय**		
	(अ) ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	1,46,99,644	80,27,122
	(ब) अन्य गैर-व्यवसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	27,20,450	11,71,400
	(ii) विविध आय	90,01,123	7,47,023
		2,64,21,217	**99,45,545**
22.	**खपत की गई सामग्रीयों की लागत**		
	कच्चा दुग्ध		
	(अ) प्रारम्भिक स्टॉक	3,00,745	–
	(ब) जोड़िये : क्रय	2,99,67,898	5,71,12,147
		3,02,68,643	5,71,12,147
	(स) घटाईए : अंतिम स्टॉक	–	3,00,745
		3,02,68,643	**5,68,11,402**
23.	**व्यवसायिक माल का क्रय**		
	(अ) कच्चा दुग्ध	4,61,85,03,346	3,68,15,28,840
	(ब) खरीद संबंधी व्यय	17,96,46,413	13,23,26,936
	(स) लॉयल्टी इन्सेन्टिव	2,96,45,462	2,02,94,794
	(द) पॉली पैक दुग्ध	31,25,51,228	5,30,70,065
	(य) पशु आहार	12,42,57,623	3,89,64,179
	(र) अन्य	34,12,119	–
		5,26,80,16,191	**3,92,61,84,814**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
24.	**तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन**		
	तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में कमी/(वृद्धि)		
	(अ) वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	1,03,76,338	94,59,195
	तैयार माल	80,51,015	–
	स्टॉक इन ट्रांजिट	1,36,73,993	127,05,987
		3,21,01,346	2,21,65,182
	(ब) वर्ष के समापन पर स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	1,15,19,564	1,03,76,338
	तैयार माल	17,00,288	80,51,015
	स्टॉक इन ट्रांजिट	2,45,80,911	1,36,73,993
		3,78,00,763	3,21,01,346
	स्टॉक में शुद्ध कमी या (वृद्धि)	**(56,99,417)**	**(99,36,164)**
25.	**कर्मचारी संबंधी व्यय**		
	(अ) वेतन एवं मजदूरी	5,64,19,231	4,39,22,969
	(ब) भविष्य निधि में योगदान	53,07,392	33,45,107
	(स) कर्मचारी कल्याण पर व्यय	6,33,084	1,52,851
		6,23,59,707	**4,74,20,927**
26.	**वित्त लागत**		
	(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	79,08,569	10,13,336
	(ब) आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	15,14,699	2,28,969
		94,23,268	**12,42,305**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
27.	**अन्य व्यय**		
	(a) स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	7,21,536	13,50,068
	(b) पॉवर एवं फ्यूल	6,94,435	5,85,910
	(c) दुग्ध अवशीतन शुल्क	6,16,77,222	4,66,40,717
	(d) परिवर्तन शुल्क	3,10,513	16,36,831
	(e) किराया	30,49,823	19,72,634
	(f) दर तथा कर	16,96,296	1,91,510
	(g) मरम्मत एवं रख–रखाव – भवन	13,61,790	2,43,973
	(h) मरम्मत एवं रख–रखाव – मशीनरी	1,68,77,761	1,20,94,047
	(i) मरम्मत एवं रख–रखाव – अन्य	4,96,540	3,25,908
	(j) विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	1,03,38,933	13,20,316
	(k) भाडा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	30,49,74,328	23,07,57,524
	(l) बीमा भार	18,10,221	12,83,739
	(m) विधिक एवं पेशेवर शुल्क	61,98,191	33,96,882
	(n) अंकेक्षकों का पारिश्रमिक (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	10,48,564	9,55,060
	(o) यात्रा एवं परिवहन	87,33,300	73,36,159
	(p) प्रशिक्षण व्यय	13,54,961	2,55,312
	(q) संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	3,42,27,026	2,13,00,017
	(r) संप्रेषण व्यय	21,91,232	16,08,222
	(s) विविध व्यय	1,70,83,961	18,46,923
		47,48,46,633	**33,51,01,752**
	नोट:		
	(i) अंकेक्षकों को देय शुल्क में निम्न शामिल है :		
	(अ) वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	7,50,000	7,00,000
	(ब) कर अंकेक्षण शुल्क	1,50,000	1,50,000
	(स) खर्चो की प्रतिपूर्ति	20,082	–
	(द) उपरोक्त पर सेवाकर	1,28,482	1,05,060
		10,48,564	**9,55,060**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को स्थिति	31 मार्च 2014 को स्थिति
28.	**आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धतायें**	NIL	NIL

29. कर्मचारी लाभ योजनायें

निर्धारित योगदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनायें प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। भविष्य निधि में योगदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता हैं। कर्मचारी तथा कम्पनी दोनों ही पूर्वनिर्धारित योगदान भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते हैं। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते हैं।

कम्पनी ने रु.4,146,826 (पिछले वर्ष रु. 2,786,775) की राशि को लाभ–हानि खाते में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है ।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुश्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनायें कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के वर्षो तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्यूटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्यूटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
(i) निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन	**(रुपये में)**	**(रुपये में)**
वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7,42,347	1,70,051
ब्याज लागत	58,274	15,475
चालू सेवा लागत	10,17,337	5,59,509
दायित्वों पर बिमांकिक (लाभ) /हानि	1,66,013	(2,688)
वर्ष के समापन पर दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**19,83,971**	**7,42,347**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
(ii)	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष के प्रारम्भ में योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	9,01,913	1,37,672
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	1,11,719	44,871
	योगदान	6,81,580	7,50,277
	योजना सम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(30,661)	(30,907)
	वर्ष के समापन पर योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	**16,64,551**	**9,01,913**
(iii)	**योजना संपत्तियों पर प्राप्ति**		
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	1,11,719	44,871
	बीमांकिक लाभ/(हानि)	(30,661)	(30,907)
	योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	**81,058**	**13,964**
(iv)	**चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	19,83,971	7,42,347
	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	16,64,551	9,01,913
	चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	**3,19,420**	**(1,59,566)**
(v)	**लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे**		
	वर्तमान सेवा लागत	10,17,337	5,59,509
	ब्याज व्यय	58,274	15,475
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(1,11,719)	(44,871)
	वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध (लाभ)/हानि	1,96,674	28,219
	लाभ/हानि खाते में स्वीकृत व्यय	**11,60,566**	**5,58,332**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015	31 मार्च 2014
(vi)	चिट्ठे का मिलान		
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध दायित्व /(संपत्तियाँ)	(1,59,566)	32,379
	उपरोक्तानुसार व्यय	11,60,566	5,58,332
	योगदान	(6,81,580)	(7,50,277)
	वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व/(संपत्तियां)	**3,19,420**	**(1,59,566)**

कम्पनी की योजना संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, कम्पनी के ग्रेच्यूटी योजना के दायित्वों को पूरा करने के लिये, कम्पनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत किया जाता है। योजना संपत्तियों की श्रेणी के बारें में सामूहिक ग्रेच्युटी कोष में विनियोग पद्धति के सन्दर्भ में कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है।

अगले वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी कोषों में रु. 6,00,000 (पिछले वर्ष रु. 10,00,000) का योगदान होने का अनुमान है।

निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता तथा खर्चो हेतु बीमांकिक गणना निम्न अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें यदि परिवर्तन होता है तो निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, पोषण आवश्यकताओं तथा खर्चो की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

(vii)	मुख्य बीमांकिक अनुमान	**31 मार्च, 2015**	**31 मार्च, 2014**
	बट्टे की दर	7.85% वार्षिक	9.10% वार्षिक
	अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% वार्षिक	10.00% वार्षिक
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	8.99% वार्षिक	8.75% वार्षिक
	संघर्षण दर (Attrition Rate)		
	30 वर्ष से कम	3%	3%
	आयु 31 से 44 वर्ष	2%	2%
	44 वर्ष से अधिक आयु	1%	1%
	प्रयुक्त मृत्यु–दर सारणी (Mortality Table used)	आई.ए.एल. (2006–08) (अन्तिम)	आई.ए.एल. (2006–08) (अन्तिम)

बट्टे की दर आर्थिक चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित प्रतिबद्धत्ताओं की अनुमानित अवधि के लिये बाजार लाभ पर निर्भर करती है।

भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि, मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोन्नत्तियों, वेतनवृद्धि एवं संबंधित तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(viii) क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के लिये बीमांकिक अनुमान

उपरोक्त vii के समान मुख्य बीमांकिक अनुमानों का प्रयोग क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

(ix) अनुभव समायोजन

	31.03.2015 (रूपये में)	31.03.2014 (रूपये में)	31.03.2013 (रूपये में)
निर्धारित लाभ का वर्तमान मूल्य	19,83,971	7,42,347	1,70,051
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	16,64,551	9,01,913	1,37,672
पोषित स्थिति	3,19,420	(1,59,566)	32,379
प्रतिबद्धताओं पर लाभ/(हानि)	(1,66,013)	2,688	–
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	(30,661)	(30,907)	–

30. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज किराया संबंधी रु.30,49,823 (पिछले वर्ष रु. 19,72,634) के खर्चो को लाभ–हानि खाता विवरण में दर्शाया है।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के भवन की लीज 8 वर्ष तथा 8 माह के लिए की गई है जो 6 माह का नोटिस देकर Lessee की मांग पर निरस्त की जा सकती है। अनुबंध में लीज के भुगतान को प्रत्येक 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढाने का प्रावधान है। कलस्टर एवं बिन्दायका कार्यालय की लीज क्रमश: 6 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए है एवं लीज़ का भुगतान प्रत्येक वर्ष बाद 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।

भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्न प्रकार है :

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को स्थिति	31 मार्च 2014 को स्थिति
	एक वर्ष बाद देय नही	39,67,377	18,88,175
	एक वर्ष बाद देय पर पांच वर्ष बाद देय नही	1,18,65,141	74,08,815
	पांच वर्ष बाद देय	53,40,025	29,60,554
		2,11,72,543	**1,22,57,544**

31. प्रति समता अंश आय

(राशि ₹ में)

विशिष्टियाँ	इकाई	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2014 समाप्त वर्ष पर
कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	9,00,20,876	1,75,56,437
वर्ष के दौरान भारित औसत अदत समता अंशों की संख्या	संख्या	10,28,617	4,56,726
प्रति समता अंश न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
प्रति अंश मूल आय	रूपये	87.52	38.44
प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गये समता अंश	संख्या	10,28,617	4,56,726
प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	87.52	38.44

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

32. लेखा–मानक AS–18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' निम्न प्रकार है:–

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूप

संबंध का स्वरूप	व्यक्ति का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	अनिल कुमार माथुर पूर्णकालिक निदेशक (Whole-time Director)

(ब) उपरोक्त संबंधित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है :–

(राशि ₹ में)

लेन–देन का स्वरूप	के.एम.पी.	योग
प्रबंधक पारिश्रमिक		
अनिल कुमार माथुर	35,17,206	35,17,206
	(24,13,249)	(24,13,249)

कोस्टक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।

33. सरकारी अनुदानों का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2014 समाप्त अवधि पर
	नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड से प्राप्त अनुदानों का विवरण एवं उनका उपयोग निम्न प्रकार है:–		
(अ)	प्रारंभिक शेष	9,41,10,847	–
(ब)	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	16,27,04,072	15,67,20,001
(स)	वर्ष के दौरान अनुदान का उपयोग		
	(i) पूंजीगत संपतियों के लिये		
	– अचल संपत्तियों के लिये	9,13,33,080	17,10,000
	– सम्पत्तियाँ जो स्थापना के अन्तर्गत	2,16,37,531	5,43,90,951
		11,29,70,611	5,61,00,951
	(ii) आयगत व्यय के लिये	7,40,70,740	65,08,203
	कुल उपयोग (i) + (ii)	**18,70,41,351**	**6,26,09,154**
(द)	शेष को आगे ले गये (अ+ब–स)	6,97,73,568	9,41,10,847

नोट : पूंजीगत संपत्तियों के खरीद में उपयोग किया गया अनुदान, स्थगित अनुदान में दर्शाया गया है तथा आयगत अनुदान के उपयोग को उससे संबंधित खर्चों में समायोजित कर दिया गया है। (देखें नोट 2i)

34. प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नही है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कम्पनी की कोई भी राशि बकाया नही है।

35. कम्पनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से संबद्ध है। जिसको एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में माना जाता है। कम्पनी भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है। खण्ड सूचना के लेखा मानक AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कम्पनी को कोई आवश्यकता नही है क्योंकि कम्पनी एक व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित है तथा एक ही भौगोलिक क्षैत्र में कार्यरत है।

36. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुसार, जहां भी आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ो को पुन:वर्गीकृत/पुन: एकत्र किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–	ह./–	ह./–
अनिल कुमार	**मंजू जाखड़**	**रतन कुमार सिंह**
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
ह./–	ह./–	
अनूप गुप्ता	**कपिल पचौरी**	
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबन्धक–वित्त	

स्थान : जयपुर
दिनांक : 03 जुलाई, 2015

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय:– डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान

दूरभाष नं. +91–141–2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement)

फोलियो संख्या : ....

सदस्य कोड :

मैं...

निवासी...

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य/ की सदस्या हूँ। मैनें कम्पनी द्वारा भेजी गई तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा विवरण सभी अनुलग्नों के साथ प्राप्त कर ली है।

सदस्य के हस्ताक्षर/अगूंठे का निशान

दिनांक : ....

स्थान : ....

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय:– डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,

वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान

दूरभाष नं. +91–141–2352736

Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय:– डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91–141–2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

सूचना–पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के अंशधारकों की चतुर्थ वार्षिक आम सभा सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को प्रात: 11.00 बजे बी. एम. बिड़ला ऑडिटोरियम, स्टैच्यू सर्किल, जयपुर–302001 पर निम्न कार्यों के लिये होगी:–

1. 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा उस अवधि की डायरेक्टर रिपोर्ट व ऑडिटर रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डीविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना :–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डीविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रु. 10/– प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लाभ में से रु. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 15,41,189 समता अंशो पर रु. 185,49,378/– (जिसमें डीविडेंड डीस्ट्रीब्यूशन टेक्स रु. 31,37,488/– शामिल है) वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये देने का अनुमोदन किया जाता है। इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2015 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. श्री अनिल कुमार (DIN-05203988), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, के स्थान पर किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

4. कम्पनी के वैधानिक लेखा अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तय करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुडगाँव, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या–101496W) को रु. 8.00 लाख (अक्षरे रुपये आठ लाख) पारिश्रमिक एवं लागू होने वाले सेवाकर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुन: नियुक्त किया जाता है।

5. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट पर विचार कर उसका अनुमोदन करना।

6. श्रीमती ममता चौधरी को निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले

प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्रीमती ममता चौधरी (DIN-07253296) जो ''श्रेणी ए'' का प्रतिनिधित्व करती हैं, को एतद्द्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगी।''

7. श्री सेडमल शर्मा को निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री सेडमल शर्मा (DIN-07255050) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, को एतद्द्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।''

8. श्री जय सिंह राठौड़ को निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री जय सिंह राठौड़ (DIN-07253278) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, को एतद्द्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।''

9. श्री मेवाराम बैरवा को निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA के अनुसार लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश), श्री मेवाराम बैरवा (DIN-07253207) जो ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं, को एतद्द्वारा कम्पनी में निदेशक नियुक्त किया जाता है, जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।''

10. कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए सामान्य प्रस्ताव पारित करना।

सामान्य प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:–

''निर्णय लिया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबंधित प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 581H, 581ZQ, 581ZR तथा अगर कोई हैं, तो कम्पनी अधिनियम के अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के सहित इसकी धारा 16 व 94 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश, अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहाँ तक लागू हो सकें) और कम्पनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, रू 100/– (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 10,00,000 (दस लाख) समता अंश लाकर कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी को रू 100/– (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 20,00,000

(बीस लाख) समता अशों में विभाजित रू 20,00,00,000 (अक्षरे रुपये बीस करोड़) से बढ़ाकर 100/– (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 30,00,000 (तीस लाख) समता अशों में विभाजित रू 30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़) किया जाए।

यह भी निर्णय लिया जाता है कि, कम्पनी के बहिर्नियमों में पुनर्सख्यांकित अनुच्छेद VI के स्थान पर निम्नलिखित नए अनुच्छेद VI के द्वारा बदलाव किया जाता है।

''VI. शेयर पूंजी कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 30,00,00,000 (रुपये तीस करोड़) है, जो रु. 100/– प्रति शेयर के 30,00,000 शेयरों मे बटी है।''

कम्पनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों ,संदेह व समस्याओं को अपने स्वतंत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार

ह./–

स्थान : जयपुर **(अनूप गुप्ता)**

दिनांक : 04 अगस्त, 2015 कम्पनी सचिव

नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/असामंजस्यता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज अंतिम रूप से मान्य होंगे।

टिप्पणी:–

1. **कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।**
2. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तों को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2014–2015 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।
3. कम्पनी के सदस्यों को संरक्षता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वगीकृत करने का मापदंड प्रथम वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया है।

4. सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार:–

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2014–15) को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 69647 सदस्य दर्शाये गये हैं, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2014–15 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार है:–

(a) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान संरक्षता मापदण्ड सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, ''श्रेणी ए'' के 3749 सदस्य, ''श्रेणी बी'' के 6959 सदस्य और ''श्रेणी सी'' के 12707 सदस्य (कुल 23415 सदस्य) जिन्होंने वोट करने की आधारभूत शर्तों के साथ–साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तों को पूरा किया है, इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 10, इसमें निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के अधिकारी होंगे।

(**नोट–**कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (''श्रेणी ए'' अथवा ''श्रेणी बी'' अथवा ''श्रेणी सी'') के होने वाले निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है)।

(b) 3809 सदस्य जिन्होंने कम्पनी की आधारभूत शर्तों को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है) , लेकिन उन्होंने अपनी श्रेणी की संरक्षता की अन्य शर्तों को वित्तीय वर्ष 2014–15 में पूरा नहीं किया है, तथा जिन्होंने कम्पनी की तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण की शर्तों को भी पूरा नहीं किया है, और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 6, 7, 8 एवं 9) पर वोट नहीं कर सकते हैं परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 4, 5 एवं 10 पर वोट कर सकते हैं।

(c) कुल 42,423 सदस्य जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं की जिसके कारण उन्हें सूचना पत्र की किसी भी मद पर वोट करने का अधिकार नहीं है।

(d) उपरोक्त उपवाक्य (a), (b), (c) में दर्शाये गये कुल 69647 सदस्यों (23415+3809+42423) में से 8213 सदस्यों की दिनांक 31 मार्च, 2015 के पश्चात उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई, इसलिए ऐसे 8213 सदस्य कम्पनी की आम सभा में भाग नहीं ले सकते है और वोट भी नही कर सकते हैं। हांलाकि वे वित्तीय वर्ष 2014–15 के सीमित लाभांश (यदि आम सभा में पारित होता है) के हकदार होंगे ।

(e) दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल 10909 सदस्य जोड़े गये हैं, जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के लाभांश के हकदार नहीं होंगे एवं साथ ही उनको चतुर्थ आम सभा में वोट करने का अधिकार नहीं है।

(f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुग्ध संकलन केन्द्र के अनुसार संबंधित दुग्ध संकलन केन्द्र पर उपलब्ध है एवं चतुर्थ आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।

(g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिससें सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सकें, जिसे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।

5. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :–

(अ) निदेशक के पद पर नियुक्त होने वाले प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण।

(ब) दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई तृतीय वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।

(स) 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ–हानि खाता, डायरेक्टर रिपोर्ट तथा ऑडिटर रिपोर्ट।

(द) वित्तीय वर्ष 2015–16 का बजट ।

6. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें। कम्पनी द्वारा इनकी प्रति आम सभा के स्थान पर नहीं दी जायेगी।

7. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में चतुर्थ वार्षिक आम सभा से 7 दिन पहले लिखित रूप से सूचित करें ।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।

9. व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement) मद संख्या 6 से 10 के लिए नोटिस के साथ संलग्न है।

10. इस सूचना में बताये गये दस्तावेजों एवं व्याख्यात्मक विवरण को कार्यदिवसों में प्रात: 11:00 से सांय : 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।

11. सीमित लाभांश (डीविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर पारित होता है तो उन सदस्यों को दिया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2015 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को तुरंत सूचित करें।

13. सदस्य जिन्होंने अपना नामिती फार्म कम्पनी को जमा नहीं करवाया है वे फार्म भरकर नामिती के नाम के साथ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायें। नामिती फार्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

14. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205A तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसार लाभांश की राशि का उसकी घोषणा से सात वर्षो तक दावा/नकदीकरण नहीं करते हैं तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित कर दी जायेगी। इस राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में अंतरित कर देने के पश्चात् किसी भी तरह का दावा नहीं किया जा सकता है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA (4)(c) के अनुसार निदेशक पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की योग्यताओं संबंधी विवरण।

कार्यसूची सं. 3, 6, 7, 8 और 9

(i) श्री अनिल कुमार, कला एवं विधि स्नातक है (श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं) व कृषि एवं दुग्ध उत्पादन कार्यों में हैं।

(ii) श्रीमती ममता चौधरी, कला में स्नातकोत्तर है (श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती हैं) व कृषि एवं दुग्ध उत्पादन कार्यों में हैं।

(iii) श्री सेडमल शर्मा, कला में स्नातकोत्तर है (श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं) व कृषि एवं दुग्ध उत्पादन कार्यों में हैं।

(iv) श्री जय सिंह राठौड़, कला में स्नातक है (श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं) व कृषि एवं दुग्ध उत्पादन कार्यों में हैं।

(v) श्री मेवाराम बैरवा, 12वीं पास है (श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते हैं) व कृषि एवं दुग्ध उत्पादन कार्यों में हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

स्थान : जयपुर

दिनांक : 04 अगस्त, 2015

ह./–

(अनूप गुप्ता)

कम्पनी सचिव

व्याख्यात्मक विवरण (Explanatory Statement)

(सूचना–पत्र दिनांकित 04 अगस्त, 2015 में दी गई मद संख्या 6 से 10 से संबंधित)

मद संख्या : 6

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार श्री सुखपाल जाट, निदेशक जो आगामी चतुर्थ आम सभा में सेवानिवृत होंगे और अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिये प्रस्तुत नही करते हैं।

निदेशक मंडल में श्रेणी ए के रिक्त पद पर चयन करने के लिये, दिनांक 29 जुलाई, 2015 को हुई नांमाकन समिति की बैठक में नामांकन समिति ने निदेशक मंडल को श्रीमती ममता चौधरी (श्रेणी ए की प्रतिनिधि) को निदेशक पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्रीमती ममता चौधरी जिनकी योग्यता विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581 ZA(4)(c) के अनुसार है, इस सूचना–पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी योग्य होने के कारण निदेशक मंडल में ''श्रेणी–ए'' का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगी।

श्रीमती ममता चौधरी के अतिरिक्त कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं हैं।

नामांकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल, मद संख्या 6 में दिये गये प्रस्ताव को जैसा कि सूचना–पत्र में वर्णित किया गया है, सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 7

दिनांक 29 जुलाई, 2015 को हुई नामांकन समिति की बैठक में नामांकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री सेडमल शर्मा (श्रेणी सी के प्रतिनिधि) को निदेशक पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री सेडमल शर्मा जिनकी योग्यता विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA(4)(c) के अनुसार है, इस सूचना–पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी योग्य होने के कारण निदेशक मंडल में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।

श्री सेडमल शर्मा के अतिरिक्त कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं हैं।

नामांकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल, मद संख्या 7 में दिये गये प्रस्ताव को जैसा कि सूचना–पत्र में वर्णित किया गया है, सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 8

दिनांक 29 जुलाई, 2015 को हुई नामांकन समिति की बैठक में नामांकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री जय सिंह राठौड़ (श्रेणी सी के प्रतिनिधि) को निदेशक पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री जय सिंह राठौड़ जिनकी योग्यता विवरण, कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 581ZA(4)(c) के अनुसार है, इस सूचना–पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी योग्य होने के कारण निदेशक मंडल में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।

श्री जय सिंह राठौड़ के अतिरिक्त कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नही है।

नामांकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल, मद संख्या 8 में दिये गये प्रस्ताव को जैसा कि सूचना–पत्र में वर्णित किया गया है, सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 9

दिनांक 29 जुलाई, 2015 को हुई नामांकन समिति की बैठक में नामांकन समिति ने निदेशक मंडल को श्री मेवाराम बैरवा (श्रेणी सी के प्रतिनिधि) को निदेशक पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा की है।

श्री मेवाराम बैरवा जिनकी योग्यता विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZA(4)(c) के अनुसार है, इस सूचना–पत्र के साथ संलग्न है एवं निदेशक पद हेतु उनकी उम्मीदवारी योग्य होने के कारण निदेशक मंडल में ''श्रेणी–सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।

श्री मेवाराम बैरवा के अतिरिक्त कोई भी निदेशक/अधिकारी अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नही है।

नामांकन समिति की उपरोक्त अनुशंसा पर निदेशक मंडल, मद संख्या 9 में दिये गये प्रस्ताव को जैसा कि सूचना–पत्र में वर्णित किया गया है, सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की अनुशंसा करता है।

मद संख्या : 10

वर्तमान समय में, कम्पनी की अधिकृत पूंजी रु. 20 करोड़ है और जारी की गई, अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी रु.15.91 करोड़ है। कम्पनी की सामान्य व्यवसायिक कार्यप्रणाली में कम्पनी की वृद्धि एवं विकास से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करने के साथ–साथ नेशनल डेयरी प्लान–I के अन्तर्गत कम्पनी के द्वारा शुरू की गई उप–परियोजना से संबंधित योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुसाध्य बनाने के लिए, कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी को रु. 30 करोड़ तक बढ़ाना आवश्यक है। अत: कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी को रु. 30 करोड़ तक बढ़ाने की आवश्यकता है तथा इस उद्देश्य हेतु, इसके साथ संलग्न मद सं. 10 में दिए गए प्रस्ताव में किए गए वर्णन के अनुसार कम्पनी के बहिर्नियमों में बदलने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव में की गई गणना के अनुरूप, कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू होने वाले वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, कम्पनी के लिए अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि तथा कम्पनी के बहिर्नियमों के पूंजी से संबंधित अनुच्छेद में बदलाव हेतु सदस्यों की स्वीकृति लेना आवश्यक है।

निदेशक मंडल की बैठक से प्रस्तावित परिवर्तन के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रतिलिपि कार्यवाही दिनों में प्रात: 11.00 बजे से 4.00 बजे तक सदस्यों की जाँच के लिए कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर रखे जाएंगे।

कम्पनी के निदेशकों/अधिकारियों अथवा उनके संबंधी का इस प्रस्ताव में किसी भी प्रकार से कोई हित निहित नहीं है।

निदेशक मंडल सदस्यों की स्वीकृति हेतु संलग्न किए गए सूचना पत्र की मद सं. 10 में वर्णित प्रस्ताव की अनुशंसा करने के प्रस्ताव को पारित किया जाता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
ह./–
(अनूप गुप्ता)
कम्पनी सचिव

स्थान : जयपुर
दिनांक : 04 अगस्त, 2015

पंजीकृत कार्यालय:
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
डी–232–233, चौथी मंजिल,
अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर,
जयपुर–302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. +91–141–2352736
Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
स्थान: रविन्द्र मंच, रामनिवास बाग, जयपुर, राजस्थान में
सदस्यों की तृतीय वार्षिक आम सभा, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को सम्पन्न हुई
जिसकी कार्यसूची का विवरण निम्न है:-

बैठक में उपस्थित सदस्य :-

1.	श्री लालचन्द चौधरी	–	अध्यक्ष एवं अंशधारक
2.	श्री अनिल कुमार	–	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री भगवान सहाय	–	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्री बलदेव राम बेरवाल	–	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री सुखपाल जाट	–	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री इन्द्र सिंह भाटी	–	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्रीमती कौशल्या कुमारी	–	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्रीमती मंजू जाखड़	–	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्रीमती कौशल यादव	–	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री भंवर लाल जाट	–	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री डूंगर सिंह राठौड़	–	निदेशक एवं अंशधारक
12.	श्री सॉमन बिस्वास	–	विशेषज्ञ निदेशक
13.	श्री अनिल कुमार माथुर	–	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
14.	श्री अनूप गुप्ता	–	कम्पनी सचिव

244 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 26824 सदस्य प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।

(अ) श्री लालचन्द चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की।

(ब) श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने घोषणा की, कि कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुच्छेद सं.11.6 के अनुसार कोरम पूर्ण था। प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर एवं निदेशक मंडल की समता अंश पूंजी के विवरण का रजिस्टर जांच के लिए उपस्थित था तत्पश्चात सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(स) अध्यक्ष महोदय ने तृतीय वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया।

(द) सर्व सम्मति से तृतीय वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(य) तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी की सदस्यता एवं गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।

तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।

1. 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा उस अवधि की डायरेक्टर रिपोर्ट व ऑडिटर रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।

1.1 सदस्यों ने 31 मार्च, 2014 अवधि तक समाप्त लेखों पर विचार-विमर्श किया तत्पश्चात् कम्पनी की ऑडिटर रिपोर्ट को श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने पढ़ा।

1.2 श्री राकेश (फोलियो संख्या: 45684) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 1/2014-2015-तृतीय आम सभा/15.09.2014

''दिनांक 31 मार्च, 2014 को कम्पनी की अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ-हानि खाता तथा उसकी अनुसूचियों के साथ, उस पर निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

श्री मुकेश यादव (फोलियो संख्या: 6881) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डीविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना।

2.1 श्री नरेन्द्र यादव (फोलियो संख्या: 15947) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया :-

प्रस्ताव संख्या 2/2014-2015-तृतीय आम सभा/15.09.2014

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डीविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रु. 10/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के लाभ में से रु. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 918263 समता अंशो पर

रु. 107,43,218/- (जिसमें डीविडेंड डीस्ट्रीब्यूशन टेक्स रु.15,60,588/- शामिल है) वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये खर्च करने का अनुमोदन किया जाता है। इसका भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2014 को सदस्यों के रजिस्टर में वर्णित है। ''

श्री मोहन सिंह (फोलियो संख्या: 23721) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्री भगवान सहाय (बोर्ड में श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते है) के स्थान पर किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

3.1 श्री मूल चन्द (फोलियो संख्या: 12740) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 3/2014-2015-तृतीय आम सभा/15.09.2014

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री भगवान सहाय (बोर्ड में श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करते हैं) , कम्पनी निदेशक जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं। एतद्द्वारा उन्हें कम्पनी में निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिये उत्तरदायी हैं।''

श्री भागीरथ प्रसाद (फोलियो संख्या: 30172) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी श्रेणी ए के सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्री बलदेव राम बेरवाल (बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं) के स्थान पर किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं।

4.1 श्री रामअवतार (फोलियो संख्या: 31404) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 4/2014-2015-तृतीय आम सभा/15.09.2014

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री बलदेव राम बेरवाल (बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते हैं) , कम्पनी निदेशक जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए अपने आप को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं। एतद्द्वारा उन्हें कम्पनी में निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिये उत्तरदायी है।''

श्री रतन सिंह (फोलियो संख्या: 21612) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना।

5.1 श्री दरबार सिंह (फोलियो संख्या: 9393) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 5/2014-2015-तृतीय आम सभा/15.09.2014

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि मैसर्स एस. बी. बिह्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुडगाँव, हरियाणा (फर्म पंजीकरण संख्या-101496W) को रुपये 7.50 लाख (अक्षरे रुपये सात लाख पचास हजार) पारिश्रमिक एवं लागू होने वाले सेवाकर तथा वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति के साथ तृतीय आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए पुन: नियुक्त किया जाता है।

श्री राम लाल (फोलियो संख्या: 14174) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना।

6.1 श्री शंकर लाल (फोलियो संख्या: 7468) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 6/2014-2015-तृतीय आम सभा/15.09.2014

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट को वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा एवं एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।''

श्री बाबू लाल (फोलियो संख्या: 45174) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. श्रीमती कौशल यादव को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होंगी।

7.1 श्री बंजरग (फोलियो संख्या: 16911) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:-

प्रस्ताव संख्या 7/2014-2015-तृतीय आम सभा/15.09.2014

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्रीमती कौशल यादव जिनको कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 9.7(i) के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2014 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम सभा की बैठक की तारीख तक इस पद को धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और वह ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करती हैं और योग्यताओं को पूरा करते हुए स्वयं को इस पद के लिए

प्रस्तावित करती हैं, एतद्द्वारा कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगी।''
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा (फोलियो संख्या: 18961) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी सी सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. श्री भंवर लाल जाट को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे।

8.1 श्री रतन गुर्जर (फोलियो संख्या: 17896) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 8/2014–2015–तृतीय आम सभा/15.09.2014

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री भंवर लाल जाट जिनको कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 9.7 (i) के अनुसार दिनांक 15 मई, 2014 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम सभा की बैठक की तारीख तक इस पद को धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और वह ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं और योग्यताओं को पूरा करते हुए स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तावित करते हैं, एतद्द्वारा कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।''
श्री जगमल सिंह (फोलियो संख्या: 15106) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी सी सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. श्री डूंगर सिंह राठौड़ को कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होगें।

9.1 श्री घीसा (फोलियो संख्या: 2054) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 9/2014–2015–तृतीय आम सभा/15.09.2014

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री डूंगर सिंह राठौड़ जिनको कम्पनी के अन्तर्नियम के अनुच्छेद 9.7 (i) के अनुसार दिनांक 05 अगस्त, 2014 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम सभा की बैठक की तारीख तक इस पद को धारित करने हेतु नियुक्त किया गया था और वह ''श्रेणी सी'' का प्रतिनिधित्व करते हैं और योग्यताओं को पूरा करते हुए स्वयं को इस पद के लिए प्रस्तावित करते हैं, एतद्द्वारा कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है जोकि चक्रिय क्रम के आधार पर सेवानिवृत होंगे।''
श्री मदन लाल (फोलियो संख्या: 9021) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।
अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी सी सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

10. कम्पनी के अन्तर्नियम में संशोधन करना।

10.1 श्री पूसा राम (फोलियो संख्या: 321) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 10/2014–2015–तृतीय आम सभा/15.09.2014

''प्रस्ताव रखा जाता हैं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IX-A से संबन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 581-I, 581-ZQ, 581ZR तथा धारा 31 सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) के साथ कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू होने वाले वर्तमान कम्पनी अंतर्नियमों को जहां तक संभव हो सकें में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है –

(1) निम्न नये अनुच्छेद 1.3 को वर्तमान अनुच्छेद 1.2 के बाद रखा जाये।

1.3. *i.* कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा *581A (l)* के अनुसार कम्पनी एक उत्पादक कंपनी है।

ii. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा *581C(5)* के अनुसार न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपये या उससे अधिक दर्शायी गई पूंजी के साथ कम्पनी एक निजी कंपनी है।

a निम्न प्रकार से कम्पनी अपने अंशो के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हैं।

b कम्पनी के अंशो अथवा ऋण पत्रों के आवेदन हेतु जन आमंत्रण प्रतिबंधित हैं, तथा

c सदस्यों, निदेशकों अथवा उनके संबंधियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति से जमायें स्वीकार करना या उसके लिये आमंत्रण प्रतिबंधित हैं।

(2) अनुच्छेद 2.1 v. के प्रथम आरंभिक शब्द 'अध्यक्ष' के स्थान पर 'अध्यक्ष या अध्यक्षा' को रखा जाये।

(3) अनुच्छेद 2.1 vii. के शब्द ''अधिनियम'' के स्थान पर ''कम्पनी अधिनियम, 1956'' को रखा जाये।

(4) अनुच्छेद 3.1 के चिन्ह एवं शब्द ''& द'' के स्थान पर ''एण्ड द'' को रखा जाये।

(5) अनुच्छेद 4.2 ii. के द्वितीय पेरा में वर्णित शब्द ''एक'' के स्थान पर ''एक गैर–प्रत्यर्पणीय'' को रखा जाये।

(6) वर्तमान अनुच्छेद 4.2 iii. को पुनर्सख्यांकित करके अनुच्छेद 4.2 iv. पढ़ा जाये; और निम्नलिखित नये अनुच्छेद 4.2 iii. को वर्तमान अनुच्छेद 4.2 ii. के तुरंत बाद रखा जाये।

4.2 *iii.* कोई व्यक्ति, जिसका किसी प्रकार का व्यवसायिक हित हो जो कि कम्पनी के व्यवसाय के प्रतिकूल हो, वह कम्पनी का सदस्य नहीं बनेगा।

(7) वर्तमान अनुच्छेद 4.3 ii. को पुनर्सख्यांकित करके अनुच्छेद 4.3 iii. पढ़ा जाये; और निम्नलिखित नये अनुच्छेद 4.3 ii. को वर्तमान अनुच्छेद 4.3 i. के तुरंत बाद रखा जाये।

4.3 ii. कोई सदस्य, जो किसी प्रकार का व्यवसायिक हित उपार्जित करता हो जो कि कम्पनी के व्यवसाय के प्रतिकूल हो, उसकी कम्पनी से सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(8) पुनर्सख्यांकित अनुच्छेद 4.3 iii. के प्रथम वाक्य में दिये गए शब्द ''सदस्य के पद से हटाने हेतु'' के तुरंत बाद ''और सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु'' इन शब्दों को रखा जाये।

(9) अनुच्छेद 4.4 के उप–अनुच्छेद i. के प्रथम वाक्य में वर्णित संख्या एवं शब्द ''एक में 500 लीटर'' के तुरंत बाद ''पूर्ववर्ती'' इस शब्द को रखा जाये।

(10) अनुच्छेद 4.4 के उप–अनुच्छेद i. के प्रथम वाक्य में दिये गए शब्द ''वर्ष'' के तुरंत बाद,'' और इसके अतिरिक्त, बोर्ड के एक विशिष्ट श्रेणी के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के चुनाव/नियुक्ति के लिए मतदान करने की पात्रता प्राप्त करने हेतु सदस्य को पूर्ववर्ती वर्ष जिसका वह सदस्य है उस दौरान विशिष्ट श्रेणी के संरक्षता मानदंडों को आवश्यक रूप से पूर्ण किया हो'' इन शब्दों को रखा जाये।

(11) वर्तमान अनुच्छेद 4.5 iii. में, वर्णित प्रथम आरंभिक शब्द ''प्रत्येक'' के स्थान पर ''एक'' शब्द को रखा जाये; तथा इसके उपरान्त, वर्णित शब्द ''संतुलन'' को हटाया जाये; जबकि वर्तमान दिये गए शब्दों ''कम्पनी को आपूर्तित दुग्ध'' के तुरंत बाद ''वित्तीय वर्ष के दौरान या अन्यथा, इस सीमा तक एवं इस प्रकार से और'' इन शब्दों को रखा जाये।

(12) अनुच्छेद 4.5 में, वर्तमान उप–अनुच्छेद iii. के तुरंत बाद **''अन्य भुगतान''**, शीर्षक के साथ निम्नलिखित नये उप–अनुच्छेद iv., को रखा जाये।

अन्य भुगतान

iv. कम्पनी बोर्ड द्वारा निर्धारित विशेषताओं व सीमा एवं प्रकार तथा शर्तों के अनुरूप सदस्यों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर सकती है।

(13) वर्तमान अनुच्छेद 8.1 में इस प्रकार वर्णित अन्तिम चार वाक्यों ''ऐसे सदस्यों को सामान्य शेयर समर्पण हेतु कम्पनी द्वारा एक लिखित सूचना पत्र दिया जायेगा। सदस्य को सूचना पत्र में दी गई नियत अवधि के अन्दर सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत करना होगा। ऐसा सूचना पत्र सदस्य को उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा तथा जो कि डाक द्वारा भेजने के पाँच दिन पश्चात् प्राप्त होना माना जायेगा। तत्पश्चात्, बोर्ड इस विषय में कोई निर्णय लेगा।'' को हटा दिया जाये।

(14) वर्तमान अनुच्छेद 9.4 ii. को हटा दिया जाये, और नीचे दिये अनुसार अनुच्छेद 9.4 i. को रूपांतरित किया जाये:

9.4 बोर्ड समय–समय पर संरक्षता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में सदस्यों को वर्गीकृत करने हेतु शेयरधारकों की आम सभा की सहमति के साथ मानदंड़ों को निर्धारित करेगा।

(15) ''अनुच्छेद 9.4 के अनुसार'' इन शब्दों को वर्तमान अनुच्छेद 9.5 में से हटाकर अनुच्छेद 9.5 ii. के रूप में पुनर्सख्यांकित करके पढ़ा जाये; तथा निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद 9.5 i. को पुनर्सख्यांकित अनुच्छेद 9.5 ii. के तुरंत पहले रखा जाये।

9.5 *i.* बोर्ड में प्रत्येक श्रेणी के सदस्यों के प्रतिनिधि पदों की संख्या, जहाँ तक संभव हो, सम्बन्धित श्रेणी के संरक्षता पर आधारित होगी। हांलाकि कम्पनी क्रियान्विति के प्रथम 3 वित्तीय वर्षों के लिए, बोर्ड द्वारा इस आवश्यकता में छूट दी जा सकती है

(16) अनुच्छेद 9.6 i. में आने वाले ''अनुच्छेद 9.4. ii. के अन्तर्गत नियत किए गये अनुसार'' ये शब्द ''अनुच्छेद 9.5 के अनुसार'' से बदलें जायें।

(17) वर्तमान अनुच्छेद 9.6 ii. को पुनर्सख्यांकित करके अनुच्छेद 9.6 iii. पढ़ा जाये; और निम्नलिखित नये अनुच्छेद 9.6 ii. को वर्तमान अनुच्छेद 9.6 iii. से तुरंत पहले रखा जाये।

9.6 ii. 9.6 i. के अनुसार बोर्ड के रिक्त पदों को बोर्ड के द्वारा नियुक्त नोमिनेशन कमेटी के सुझावों के आधार पर भरा जायेगा।

(18) अनुच्छेद 9.15 में वर्णित ''ही (वह)'' शब्द के स्थान पर ''ही/शी (वह)'' को रखा जाये।

(19) अनुच्छेद 9.16 के प्रथम आरंभिक शब्द ''एक'' के स्थान पर ''एक भी'' को रखा जाये; और निम्नलिखित नवीन वाक्य उपर्युक्त शब्द ''एक भी'' से तुरंत पहले रखा जाये।

''एक निर्वाचित निदेशक कम्पनी की सदस्यता खोने पर बोर्ड के सदस्य के रूप में उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी''

(20) अनुच्छेद 9.16 के अन्तर्गत वर्णित वर्तमान उप–अनुच्छेद vi., vii., viii., ix. व x को क्रमशः पुनर्सख्यांकित कर viii., ix., x., xi व xii. के तौर पर पढ़ा जाये।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित दो नवीन उप–अनुच्छेद vi. एवं vii. को अनुच्छेद 9.16 के वर्तमान उप–अनुच्छेद v. के बाद शामिल किया जाये।

vi. सदस्य ने कोई ऐसा कार्य कारित किया है जिसने कम्पनी के हित एवं प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया है;

vii. सदस्य ने जानबूझकर कम्पनी के साथ धोखेबाजी की है;

(21) वर्तमान अनुच्छेद 9.18 ii. k. को रूपांतरित कर निम्नानुसार पढ़ें ।

k. अधिनियम की धारा 581U के प्रावधानों के नियमों के अनुसार नोमिनेशन कमेटी का गठन करना, आम सभा व इन अनुच्छेदों के अनुसार स्वीकृत परिभाषित मानदंडों के आधार पर बोर्ड के पदों के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की जाँच करना, और तद्नुसार बोर्ड के विचार हेतु पात्र सदस्यों का नाम सुझाना। इस पर बोर्ड, बोर्ड सभाओं में पर्याप्त विचार करने के पश्चात, वार्षिक आमसभा में सदस्यों के द्वारा निर्वाचित या नियुक्त किए जाने हेतु बोर्ड के पदों के लिए सदस्यों का नाम सुझायेगा;

(22) अनुच्छेद 11.11 vi. में वर्णित शब्दों ''और संरक्षता के आधार पर सदस्यों की प्रत्येक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के पदों की संख्या'' को हटाया जाये।

(23) वर्तमान अनुच्छेद 11.11 vii. को पुनर्सख्यांकित करके अनुच्छेद 11.11 viii. पढ़ा जाये; और निम्नलिखित नवीन अनुच्छेद 11.11 vii. को वर्तमान अनुच्छेद 11.11 vi. के तुरंत बाद रखा जाये।

11.11 *vii.* नोमिनेशन कमेटी के गठन हेतु दिशा–निर्देशों की स्वीकृति प्राप्त की जाए ताकि पात्र सदस्यों के द्वारा रिक्त पदों के लिए प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की जाँच की जा सके और जाँच में चुने गए नामों का सुझाव बोर्ड द्वारा वार्षिक आमसभा में विचारार्थ प्रस्तुत करें; और

यह भी प्रस्ताव रखा जाता है कि, कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं कम्पनी सचिव को एतद्द्वारा पृथक् रूप से आवश्यक फॉर्म कम्पनी पंजीयक के पास जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यों, मुद्दों तथा वस्तुओं और इस प्रस्ताव को प्रभावित करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।''

श्री जय राम (फोलियो संख्या: 28862) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

11. नोमिनेशन कमेटी के गठन के लिये दिशा–निर्देशों का अवलोकन करना।

11.1 श्री धुड़ा राम (फोलियो संख्या: 26496) ने निम्नलिखित को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 11/2014–2015–तृतीय आम सभा/15.09.2014

''निर्णय लिया जाता है कि, सूचना–पत्र की मद संख्या 10 पर कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों में बदलाव हेतु एक विशेष प्रस्ताव के विषय तथा केवल पारित होने के पश्चात, भाग IX-A सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों और ज्ञापन–पत्र व कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेदों के लागू प्रावधानों के आधार पर नोमिनेशन कमेटी के गठन के लिए दिशा–निर्देश एतद्द्वारा अंगीकृत व स्वीकृत किये जायें (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के आवश्यक परिवर्तन जहां तक लागू हो सके) जो कि इस प्रकार हैं,

1. बोर्ड, 'कम्पनी के बोर्ड में उत्पादक–सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु योग्य उम्मीदवार' के लिए नामों का सुझाव बोर्ड को प्रदान करने हेतु पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') का बोर्ड एक ''नोमिनेशन कमेटी'', का गठन वित्तीय वर्ष समाप्त होने के तीन महिनों के अन्दर करेगा।
2. बोर्ड के उत्पादक निदेशकों के रिक्त पदों (श्रेणी–ए, श्रेणी–बी या श्रेणी–सी वर्ग के अन्तर्गत) की घोषणा कम्पनी के बोर्ड निदेशकों द्वारा की जायेगी। नोमिनेशन कमेटी द्वारा विचार हेतु पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने के लिए सूचना–पत्र (बोर्ड में रिक्त सभी पदों को भरने हेतु) कम्पनी के नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा और या यदि कोई कम्पनी की वेबसाईट है तो उस पर दिखाया जायेगा या जिस श्रेणी की रिक्तता पैदा होगी उससे सम्बन्धित सभी सदस्यों को सामान्य डाक द्वारा परिपत्र भेजकर सूचित किया जायेगा।
3. अनुच्छेद के तहत, बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसकी पालना 'नोमिनेशन कमेटी' द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
4. ''नोमिनेशन कमेटी'' निम्नलिखित सारणी में पात्र प्रार्थी हेतु प्रत्येक मानदंड के सामने दिए गए 'प्रार्थी के योग्यता अंक' पर विचार करेगी:

प्रार्थी के योग्यता अंक हेतु मानदंड	अधिकतम अंक
पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षो के दौरान कम्पनी को दुग्ध आपूर्ति के दिनों की संख्या, अंक निम्न प्रकार से होंगे: (95% या अधिक दिन –25; 85% से < 95% दिन –20; 75% से <85% –15; 65% से <75% –10; 55% से <65% –5; <55% –0)	25

पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के अनुसार शेयर पूँजी अभिदान वास्तविक आवश्यकता के 10% से कम नही होना चाहिए	10
अवधि के दौरान कम्पनी को स्व–घोषणा एवं कम्पनी के द्वारा अनुवर्ती सत्यापन के आधार पर संपूर्ण आधिक्य की आपूर्ति करना (यानि अन्य किसी प्रतियोगी/संचालक को दुग्ध आपूर्ति नही की है)	10
सदस्य अर्हता निरन्तर बनाए रखी (पिछले 5 वर्षो के लिए प्रति वर्ष 3 अंक)	15
प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता (न्यूनतम आवश्यक योग्यता से कहीं अधिक – स्नातकों के लिए –10 और स्नातक से आगे – 15) न्यूनतम योग्यता अंतर्नियमों के अनुच्छेदों के अनुसार होगी।	15
अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें भाग लिया – उत्पादक / महिला जागरूकता (5 अंक); वीसीजी के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम (5 अंक) / एमआरजी (5 अंक)/ पायस (पीएमपीसीएल) के बोर्ड निदेशको हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पर (15 अंक)।	15
कम्पनी के सदस्य के रूप में कोई पुरस्कार या सम्मान प्राप्त किया हो (जैसे कि सदस्य/ वीसीजी/एमआरजी आदि के लिए उत्कृष्ट आईबी पुरस्कार)/प्रार्थी पायस ने बोर्ड निदेशकों में निदेशक के रूप में कार्य किया हो (पीएमपीसीएल) (5 अंक)	5
स्वैच्छिक सेवा के लिए सम्मान प्राप्त किया हो (दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर)	5
कुल	**100**

5. बोर्ड द्वारा गठित की गई 'नोमिनेशन कमेटी' में निम्नलिखित शामिल होंगे–

   i. सदस्यता श्रेणी से बोर्ड का उत्पादक–सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्तता पैदा हुई है बशर्ते ऐसा उत्पादक–सदस्य निदेशक उस वार्षिक आम सभा से सेवानिवृत होने वाला सदस्य न हो। अगर एक से अधिक उत्पादक – सदस्य निदेशक योग्य सिद्ध होते है, तो ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा एक नोमिनेशन कमेटी सदस्य को चुना जायेगा। अगर उस श्रेणी से कोई उत्पादक–सदस्य निदेशक उपलब्ध नही है, तो कोई अन्य उत्पादक–सदस्य निदेशक को ड्रा ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के द्वारा चुना जायेगा;

   ii. राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रबंधन संस्थान का एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व के उद्यमों के विकास हेतु बहुत कार्य किया हो; और

   iii. कम्पनी बोर्ड का एक विशेषज्ञ निदेशक।

   कम्पनी का कम्पनी सचिव 'नोमिनेशन कमेटी' को अपना सहयोग प्रदान करेगा और नोमिनेशन कमेटी की सभा के लिखित कार्य विवरणों सहित उसके सभी संबद्ध दस्तावेजों को संभालने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. 'नोमिनेशन कमेटी' का कार्यकाल समिति की प्रथम बैठक की दिनांक से लेकर उसके द्वारा कम्पनी बोर्ड को अपने सुझाव भेजने की दिनांक तक होगा।

7. बोर्ड ऐसे योग्य सदस्यों को चुनने के लिए 'नोमिनेशन कमेटी' के द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया बतलायेगा।

   कम्पनी के निदेशक मंडल को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करने तथा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों ,संदेह व समस्याओं को अपने स्वंतत्र विवेकानुसार निष्पादन करने के लिये अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

   श्री दिलीप (फोलियो संख्या: 11044) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

   अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अत: अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ सभा सम्पन्न हुई।

ह./–

दिनांक : 03 अक्टूबर, 2014

अध्यक्ष

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2015–16 का बजट

आयगत बजट

विवरण		
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	4,84,200
व्यापार	रूपये लाखों में	70,318
(ब) व्यय		
माल की लागत	रूपये लाखों में	60,469
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रूपये लाखों में	9,005
कुल व्यय	**रूपये लाखों में**	**69,474**
कर से पूर्व लाभ (अ–ब)	**रूपये लाखों में**	**844**
	विक्रय का % :	1.2%

पूंजीगत बजट

विवरण		
प्लांट एवं मशीनरी	रूपये लाखों में	350
प्रयोगशाला स्थापन	रूपये लाखों में	100
सूचना प्रोद्योगिकी उपकरण	रूपये लाखों में	50
भूमि क्रय	रूपये लाखों में	300
कुल व्यय	**रूपये लाखों में**	**800**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या : | | | | | |

सदस्य कोड : | | | | | | | | | | | | | | | |

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सोमवार, 14 सितम्बर, 2015 को प्रात: 11.00 बजे बी.एम. बिड़ला ऑडिटोरियम, स्टैच्यू सर्किल, जयपुर-302001 पर होने वाली चतुर्थ वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

अंश धारक का नाम :	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम : (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/प्रॉक्सी* के हस्ताक्षर

*जो लागू नहीं होता है, उसे काट दें।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)

फोलियो संख्या : | | | | | |

सदस्य कोड : | | | | | | | | | | | | | | | |

मैं..... निवासी.....

..... पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य

एतद् द्वारा श्री/श्रीमती..... फोलियो संख्या | | | | | |

निवासी..... और उनकी अनुपस्थिति

में श्री/श्रीमती ..... फोलियो संख्या | | | | | |

निवासी.....को

कम्पनी की सोमवार, 14 सितम्बर, 2015 को प्रात: 11.00 बजे बी.एम. बिड़ला ऑडिटोरियम, स्टैच्यू सर्किल, जयपुर-302001 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली चतुर्थ वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से वोट देने के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ।

₹1/-
रेवेन्यू टिकट

हस्ताक्षर

दिनांक..... को हस्ताक्षर किये गये।

नोट : ध्यान रहे कि प्रॉक्सी फार्म को ऊपर वर्णित आमसभा से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में पहुँचना आवश्यक है। प्रॉक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है।